

27^{वाँ} वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report

2017-18



राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था)

National Academy of Ayurveda

An Autonomous organization under Ministry of AYUSH, Govt. of India



राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
National Academy of Ayurveda



27 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2017-18

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
(An autonomous organization under Ministry of AYUSH, Govt. of India)

धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली - 110026
Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi - 110026



विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iv
1.	प्रस्तावना	1
2.	विद्यापीठ के उद्देश्य	1
3.	समितियां	2
	(i) शासी निकाय	2
	(ii) स्थायी वित्त समिति	5
4.	विद्यापीठ के कार्य	6
	(i) गुरु शिष्य परम्परा	6
	(ii) दीक्षान्त समारोह	14
	(iii) अध्येतावृत्ति पुरस्कार	14
	(iv) सम्मेलन/संगोष्ठियां	15
	(v) सम्भाषा कार्यशालाएं	16
	(vi) संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
	(vii) शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका अवसरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	18
	(viii) प्रकाशन	18
5.	तकनीकी रिपोर्ट (वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित क्रियाकलाप)	18
	(i) बैठकें	18
	(ii) गुरु शिष्य परम्परा के पाठ्यक्रम	22
	(iii) शोध पद्धतियों, पांडुलिपि लेखन एवं आजीविका के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	33
	(iv) संहिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	33



	(v) पुस्तकों का प्रकाशन/विक्री	34
	(vi) अन्य क्रियाकलाप	35
6.	बजट और खर्च	38
7.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	39
8.	लेखे	
	(i) 31 मार्च, 2018 तक का तुलनपत्र	44
	(ii) 31 मार्च, 2018 तक के आय एवं व्यय लेखे	45
	(iii) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियाँ	47
	(iv) 31 मार्च, 2018 तक प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे	61
	(v) 31 मार्च, 2018 तक अंशदायी भविष्य निधि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र	64
	(vi) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	67
	(vii) आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ	68



प्राक्कथन

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आर.ए.वी.), भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन है, जिसे शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल पद्धति के माध्यम से आयुर्वेद के परम्परागत कर्माभ्यास और ग्रन्थों (मूलपाठ) के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। यहां लक्षित शिक्षार्थी आयुर्वेद के ऐसे नए स्नातक और स्नातकोत्तर होते हैं, जो परम्परागत आयुर्वेदिक कर्माभ्यास और सिद्धान्तों में स्वयं को अधिक दक्ष बनाने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का सदस्य पाठ्यक्रम (एम.आर.ए.वी.) एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) दो ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयुर्वेदिक शिष्यों को परम्परागत कर्माभ्यास एवं ग्रन्थ संबंधी ज्ञान में और अधिक निपुण बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रारम्भ किया गया है। अब तक लगभग 936 एवं 71 शिष्यों ने क्रमशः रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) और रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम

(एम.आर.ए.वी.) पूर्ण कर लिया है। वर्ष 2016-17 में लगभग 145 प्रशिक्षणार्थियों ने सी.आर.ए.वी. प्रशिक्षण को पूर्ण किया तथा सी.आर.ए.वी. प्रमाण पत्र के लिये अर्हता प्राप्त की। वर्ष 2017-18 में लगभग 125 शिष्यों को रा.आ.वि. के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के लिए नामावली में लिया गया है और वे पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा सूचीबद्ध विद्वानों के मार्गदर्शन में आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोगी की जांच एवं तदनंतर उपचार में प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतियों का कम उपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस अन्तराल को महसूस करने के बाद परम्परागत नैदानिक पद्धतियों से रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करने की कला में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरु किया है। इस कार्यक्रम में उन युवा संकायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो चिकित्सा विषयों से संबंध रखते हैं ताकि वे अपने चिकित्सा कर्माभ्यास में प्रयोग करने के लिए ऐसी प्रणालियों में दक्ष हो जाएं। अभी तक देश में विभिन्न स्थानों पर ऐसे 17 नैदानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम



आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में ऐसे तीन कार्यक्रम क्रमशः इंदौर, उडुपी और नाडियाड में आयोजित किये गए हैं। अभी तक लगभग 430 शिक्षकों ने इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान विद्यापीठ ने रजत जयंती समारोह का जश्न अपने दो दिनों के राष्ट्रीय संगोष्ठी की नियमित गतिविधि के साथ 29 मई, 2017 को मनाया। इस अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने सराहना की थी। इस साल, संगोष्ठी 'मधुमेह के निदान, रोकथाम और प्रबंधन और इसकी जटिलताओं के लिए साक्ष्य आधारित आयुर्वेदिक दृष्टिकोण' पर आयोजित किया गया था। सेमिनार में आयुर्वेद के कई प्रतिष्ठित अधिकारियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम को आयुर्वेद के प्रतिष्ठित विद्वानों और आयुर्वेद के शोध विद्वानों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुति द्वारा विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण मुख्य विचारों द्वारा चिह्नित किया गया था। संगोष्ठी में लगभग 20 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस अवसर पर सभी 23 पत्रों का पूरा पाठ वाला स्मारिका भी जारी किया गया था।

संहिता आयुर्वेद का आधार है। वे आयुर्वेद की सबसे नैदानिक शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकें हैं। हालांकि यह देखा गया है कि उनकी नैदानिक प्रासंगिकता को ठीक से समझाया और सिखाया नहीं गया है। फलस्वरूप, वे सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तकों के रूप में माना जाता है। वर्ष 2017-18 में विद्यापीठ ने चित्रकूट में "चरक आयतनम्" नामक एक छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें चरक संहिता की प्रामाणिक नैदानिक प्रासंगिकताओं को आयुर्वेद के स्नातकों और स्नातकोत्तरों को ठीक से समझने और सिखाने का निष्पादित किया गया था। इस कार्यक्रम में 100 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था तथा इस कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना की गई।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ सतत चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना हेतु प्रधान संस्था (नोडल एजेंसी) के रूप में भी कार्य करता है। सी.एम.ई. के प्रस्तावों की समीक्षा के बाद वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 39 सी.एम.ई. को मूर्त रूप दिया गया है।



राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुर्वेद प्रशिक्षण देने के अपने विभिन्न क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नए तंत्र भी विकसित कर रहा है। यह मौजूदा प्रणाली में लगातार त्रुटियां ढूँढ रहा है और इन त्रुटियों के समाधान के तरीके ढूँढ रहा है। विभिन्न प्रतिपुष्टियों एवं मध्यावधि मूल्यांकन तंत्रों के जरिए रा.आ.वि. के कार्यकलापों की नियमित निगरानी भी की जा रही है। रा.आ.वि. अपने क्षेत्र में विशिष्ट बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह आयुर्वेद कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के समर्पित केन्द्र के रूप में उभरने के लिए प्रयत्नशील है। रा.आ.वि. इस दिशा में कई नई पहल कर रहा है जिनके भविष्य में फलीभूत होने की आशा है। विद्यापीठ के क्रिया-कलापों एवं उपलब्धियों पर वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन, इसके लेखापरीक्षा संबंधी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

(डॉ. मनोज नेसरी)
निदेशक



प्रस्तावना :

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित है। इसका पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सोसाइटी, दिल्ली प्रशासन में 11 फरवरी, 1988 को हुआ है। इसने वर्ष 1991 से धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या-66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110 026 में कार्य करना प्रारम्भ किया।

इस विद्यापीठ की स्थापना प्रख्यात आयुर्वेदिक विद्वानों एवं कर्माभ्यासियों के आयुर्वेदिक ज्ञान को संरक्षित रखने और उसे शिक्षा एवं ज्ञान अन्तरण की भारतीय परम्परागत गुरु शिष्य प्रणाली के जरिए युवा पीढ़ी को अन्तरित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य आयुर्वेदिक प्राचीन ग्रन्थों एवं चिकित्सालयी (नैदानिक) कर्माभ्यासों में नई पीढ़ी के आयुर्वेदिक विद्वानों को कुशल बनाना है।

2. विद्यापीठ के उद्देश्य :

1. आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ाना।
2. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में निरन्तर शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना तथा इस प्रयोजन से परीक्षाएं आयोजित करना।
3. सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करना।
4. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्यता को मान्यता प्रदान करना एवं बढ़ावा देना।
5. आयुर्वेद में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक कार्य करना।
6. आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित करना।
7. आयुर्वेदिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं, समितियों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
8. आयुर्वेद का संवर्धन करना और आयुर्वेद में निरन्तर शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए निधियां एवं धर्मदाय प्राप्त करना और उनका प्रबन्ध करना।



9. आयुर्वेदिक शिक्षा की नई प्रणालियों पर परीक्षण करना ताकि शिक्षा के सन्तोषजनक स्तर पर पहुँचा जा सके।
10. विद्यापीठ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आचार्य पद, अन्य संकाय स्तर की अध्येतावृत्तियाँ (फेलोशिप), अनुसंधान संवर्ग पद एवं छात्रवृत्ति आदि प्रारम्भ करना, इत्यादि।

3. समितियाँ :

3.1 शासी निकाय

संस्था के बहिर्नियम व भारत सरकार के आदेशानुसार, विद्यापीठ के कार्यों का प्रबन्धन इसके शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा शासी निकाय का पुनर्गठन पाँच (5) वर्षों के लिए 20 दिसम्बर, 2013 को निम्नानुसार किया गया था :-

शासी निकाय के अध्यक्ष

1. 'पद्म भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा,
30, सुखदेव विहार,
नई दिल्ली-110 025

भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति (पदेन सदस्य)

2. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110 011
3. संयुक्त सचिव,
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए.,
नई दिल्ली-110 023



4. सलाहकार (आयुर्वेद),
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली-110 023
5. कुलपति,
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
प्रशासनिक भवन,
जामनगर-361 008 (गुजरात)

भारत सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ

6. डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे,
6, राजश्री अपार्टमेंट्स,
नीलगिरि लेन, बनेर रोड,
पुणे -411 007 (महाराष्ट्र)
7. प्रो. ए. शंकर बाबू,
6-7-621, श्रीपुरम कॉलोनी,
के.टी. रोड, तिरुपति, जिला-चित्तूर
पिन-517 501 (आन्ध्र प्रदेश)
8. डॉ. (श्रीमती) एच. आर. विजया शेषाद्रि,
प्लॉट संख्या-1, मातृश्री,
रामनगर उत्तरी, मदिपक्कम,
चेन्नई -600 091 (तमिलनाडु)
9. प्रो. (डॉ.) बल्लव कुमार जयसिंह,
सर्वोदय नगर,
राज पैलेस के पास,
पुरी-752 002 (उड़ीसा)
10. डॉ. निरंजन सिंह त्यागी,
स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड़-245 101 (उ.प्र.)



अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन (ए.आई.ए.सी.) द्वारा मनोनीत सदस्य

11. **वैद्य शिव कुमार मिश्रा,**
पूर्व सलाहकार (आयुर्वेद) भारत सरकार,
ए-604, टावर अपार्टमेंट्स,
स्वास्थ्य विहार,
दिल्ली-110 092
12. **वैद्य (श्रीमती) शशिकला भगवान अहिरे,**
ए.एस.एम.-43, अभिषेक बंगला,
अश्विन नगर, एस.आई.डी.सी.ओ.,
जिला-नासिक -422 009 (महाराष्ट्र)
13. **डॉ. संजीव गोयल,**
88/सेक्टर-28 ए.,
चंडीगढ़-160 002

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के रत्न-सदस्यों (फेलो) में से एक सदस्य

14. **डॉ. उमा शंकर निगम,**
ओबराय एक्सक्विजिट-ए विंग 3405/6,
ओबराय मॉल के पीछे, गोरे-गांव पूर्व,
मुम्बई -400 063 (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के पूर्व शिष्यों में से एक सदस्य

15. **डॉ. संजय आर. तळमले,**
सहायक प्रोफेसर, द्रव्यगुण विभाग,
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
रघुजी नगर, नागपुर (महाराष्ट्र)

सदस्य सचिव

16. **निदेशक, रा.आ.वि.**



3.2. स्थायी वित्त समिति

आयुष मंत्रालय ने दिनांक 17 जनवरी, 2014 को 5 वर्ष के लिए स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) का पुनर्गठन किया था, जिसकी कार्यावधि वर्तमान शासी निकाय के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जायेगी। स्थायी वित्त समिति की संरचना निम्न प्रकार है:-

1. **संयुक्त सचिव (आयुष),** **अध्यक्ष (पदेन सदस्य)**
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
बी ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए.,
नई दिल्ली-110 023
2. **वित्त सलाहकार द्वारा नामित पदेन सदस्य**
एकीकृत वित्त प्रभाग (आई.एफ.डी.) का अधिकारी,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110 011
3. **सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा पदेन सदस्य**
संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद), अथवा
उप-सलाहकार,
आयुष मंत्रालय,
आयुष भवन,
बी ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली-110 023
4. **प्रो. ए. शंकर बाबू** **सदस्य (नामांकित)**
(विशेषज्ञों में से शासी निकाय के एक सदस्य)
6-7-621, श्रीपुरम कॉलोनी,
के.टी. रोड, तिरुपति, जिला-चित्तूर
पिन-517 501 (आन्ध्र प्रदेश)



5. **वैद्य शिव कुमार मिश्रा,** सदस्य (नामांकित)
(अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन
से शासी निकाय के एक सदस्य)
ए-604, टावर अपार्टमेंट्स,
स्वास्थ्य विहार, दिल्ली-110 092
6. **निदेशक,** सदस्य सचिव
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली

4. विद्यापीठ के कार्य

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 'गुरु शिष्य परम्परा' के अधीन 'रा.आ.वि. का सदस्य' एवं 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र' नामक दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाता है। इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए यह विद्यापीठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों एवं वैद्यों को गुरु के रूप में सूचीबद्ध करता है और इन पाठ्यक्रमों के लिए आयुर्वेद की अपेक्षित औपचारिक अर्हताएं रखने वाले शिष्यों को इसके लिए चयन करता है। इसके अतिरिक्त, यह विद्यापीठ संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशालाएं आयोजित करने, साहित्य का प्रकाशन करने और आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों को मान्यता देने/अभिनन्दन प्रदान करने का कार्य भी करता है।

4.1 गुरु शिष्य परम्परा

'गुरु शिष्य परम्परा' शिक्षा की परम्परागत आवासीय प्रणाली है, जिसमें शिष्य अपने गुरु के निवास स्थान के समीप ही रहता है और गुरु के नियमित चिकित्सकीय कार्य में उनके साथ रहकर एकैक शिक्षा प्राप्त करता है। गुरुकुल के विलुप्त होने के साथ ही यह प्रणाली भी समाप्त हो गई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने महसूस किया कि आयुर्वेद में ज्ञानान्तरण की यह प्रणाली अभी भी बहुत प्रभावी है। अतः यह विद्यापीठ अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से इस प्रणाली को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।



शिक्षा प्राप्त करने के संस्थागत रूप में संहिताओं (आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों) का केवल प्रासंगिक भाग ही पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 'गुरु शिष्य परम्परा' कार्यक्रम में शिष्यों के लिए चुनी गई संहिता और उसकी टीका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण ग्रन्थ के अध्ययन की व्यवस्था की गई है और उन्हें आयुर्वेदिक कर्माभ्यास के पारम्परिक कौशलों के बारे में भी बताया जाता है। अध्ययन की अवधि के दौरान शिष्यों को गुरुजनों से परस्पर बातचीत करने तथा रोगियों, जड़ी-बूटियों अथवा औषधि तैयार करने की विधि को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

4.1.1 पाठ्यक्रम

(क) **आचार्य गुरु शिष्य परम्परा** (रा.आ.वि. का द्विवर्षीय सदस्य पाठ्यक्रम)(एम.आर.ए.वी.)

यह भागीदारों को आयुर्वेदिक संहिताओं और उन पर टीकाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए साहित्यिक अनुसंधान पर आधारित एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद संहिताओं में अच्छे शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता और विशेषज्ञ तैयार करना है। शिष्य अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता से सम्बन्धित संहिता का गुरु के मार्ग दर्शन में 2 वर्ष तक अध्ययन करता है। विद्यापीठ ने इस पाठ्यक्रम का प्रारम्भ वर्ष 1992 में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले वैद्यों को आयुर्वेदीय प्राचीन ग्रन्थों में विशेषज्ञ बनाने के उद्देश्य से की थी।

समुचित सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत को अच्छी तरह समझने वाले अभ्यर्थियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। पाठ्यक्रम के अन्त में शिष्यों से एक शोधप्रबन्ध जमा करने की अपेक्षा की जाती है जिसे शिष्यों का योगदान माना जाता है। यद्यपि शिष्य अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में सम्पूर्ण (ग्रन्थ) का अध्ययन करता है परन्तु वह विद्यापीठ द्वारा सम्बन्धित गुरु के साथ परामर्श करने के बाद दिए गए सुझाव के अनुसार ही निर्धारित अध्यायों/शीर्षकों पर शोधप्रबन्ध लिखता है ताकि एक समान कार्य की पुनरावृत्ति न हो जाये।



(ख) चिकित्सक गुरु शिष्य परम्परा (रा.आ.वि. का एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम)–(सी.आर.ए.वी.)

यह पाठ्यक्रम फरवरी, 1999 से प्रारम्भ किया गया था। इस पाठ्यक्रम की अवधि आयुर्वेदिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों के लिए एक वर्ष की है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) या समतुल्य उपाधि/आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को विख्यात चिकित्सक गुरु के रूप में सूचीबद्ध कर्माभ्यासरत वैद्यों के अधीन प्रशिक्षण हेतु चुना जाता है। अध्ययन अवधि के दौरान, शिष्य आयुर्वेदिक प्रणाली से संबंधित नाड़ी परीक्षा, औषध निर्माण, क्षार-सूत्र, पंचकर्म, रोगों का उपचार, नेत्र चिकित्सा, अस्थिचिकित्सा इत्यादि प्रक्रियाओं को सीखते हैं। प्रशिक्षुओं से प्रत्येक महीने उनके अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले रोगियों का रिकार्ड तैयार करने और बाद में इन रिकार्डों को रा.आ.वि. में जमा करने की अपेक्षा की जाती है। शिष्यों द्वारा किया गया कार्य जैसे-रोगीवृत्त, मासिक अध्ययन रिपोर्ट इत्यादि की राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में जांच की जाती है। शिष्यों को उनके गुरुजनों के माध्यम से सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

4.1.2 गुरुजन

(क) रा.आ.वि. के सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरु :

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले विद्वानों को गुरु के रूप में नियुक्त किया जाता है:

वह व्यक्ति, रा.आ.वि. का सदस्य (एम.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम के गुरुके रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है, जो आयुर्वेद का सेवानिवृत्त आचार्य (प्रोफेसर) हो, जिसने स्नातकोत्तर (पी.जी.) या विद्या वाचस्पति (पीएच.डी.) उपाधि ग्रहण करने के साथ अच्छा प्रकाशित मान्यता प्राप्त अनुसन्धान कार्य किया हो और जिसे शैक्षणिक कार्य का उत्कृष्ट अनुभव हो या जो आयुर्वेद अनुसन्धान संस्था का सेवानिवृत्त निदेशक या आयुर्वेद में विख्यात अन्य कोई व्यक्ति हो, जो राज्य, केन्द्र/स्वायत्त संगठन एवं अन्य ख्याति प्राप्त कार्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर हो और व्यापक ज्ञान के साथ समुचित शैक्षणिक अनुभव रखता हो अथवा आयुर्वेद में कोई विशेषज्ञता रखता हो या आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान हो।



गुरु को 60 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और संस्कृत एवं आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में निपुण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास विशेष ज्ञान एवं दक्षता होना आवश्यक है, ताकि चयन को न्यायोचित ठहराया जा सके। द्रव्यगुण, रस-शास्त्र, भैषज्य कल्पना और अन्य नैदानिक विषयों में गुरु के पास प्रदर्शन के लिए बुनियादी सुविधा होनी चाहिए अथवा आस-पास ऐसी सुविधा/संस्था तक पहुँच होनी चाहिए।

(ख) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के लिए गुरु :

गुरुजनों के लिए पात्रता मानदण्ड (सी.आर.ए.वी.)

सी.आर.ए.वी.गुरुजनों के चयन के लिए निम्नलिखित दो पात्रता मानदण्डों को अपनाया गया है :-

1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड।
2. संस्थागत गुरुजनों के लिए मानदण्ड।

1. वैयक्तिक गुरुजनों के लिए मानदण्ड

- i. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम 1970 की धारा 17 के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा की किसी राज्य पंजिका में नामांकित आयुर्वेद के चिकित्सक।
- ii. आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- iii. मुख्यतः प्राचीन औषधियों में विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधालयी कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले और आयुर्वेद के किसी अन्य विषय में स्वयं आयुर्वेदिक कर्माभ्यास वाले कर्माभ्यासी।
- iv. कर्माभ्यासी को किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय या उससे संबद्ध चिकित्सालयों अथवा किसी अन्य चिकित्सालय में मानार्थ आधार को छोड़कर नियमित आधार पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- v. सीआरएवी गुरु बनने के इच्छुक आयुर्वेदिक कर्माभ्यासी के बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) में न्यूनतम 25 रोगी प्रतिदिन होने चाहिए।



- vi. शल्य चिकित्सा कर्माभ्यास के मामले में वैद्यों को कम से कम 15 बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) के रोगियों को देखने के अतिरिक्त प्रतिदिन 5 शल्य क्रियाएं करनी भी आवश्यक हैं।
- vii. आयुर्वेद फार्मसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मसी होनी चाहिए और आयुर्वेदिक औषधियों को तैयार करने के सूत्रों का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- viii. युवा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण देने एवं अपने कौशल एवं दक्षताओं को बिना किसी आपत्ति के बताने के इच्छुक हों।
- ix. इस श्रेणी के अन्तर्गत गुरुजनों को 2 शिष्य तक दिये जा सकते हैं। अगर उनके पास 10 शय्याओं और उससे अधिक की अन्तरंग विभाग (आई.पी.डी.) की सुविधा है तो उन्हें 4 शिष्य तक दिये जा सकते हैं।

2. संस्थागत गुरुजनों (संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र) के लिए मानदण्ड :

- क. आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केन्द्र।
- ख. न्यूनतम 50 शय्याओं और प्रतिदिन बहिरंग विभाग में 200 रोगियों वाला आयुर्वेदिक चिकित्सालय।
- ग. चिकित्सालय कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो। तथापि, जिस गुरु को प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में नामित किया गया हो, उसे न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- घ. उस संस्था की विशुद्ध आयुर्वेदिक उपचार के लिए पहचान होनी चाहिए और वहाँ पर कोई एकीकृत कर्माभ्यास नहीं होना चाहिए।
- ङ. ऐसी संस्था को 8 शिष्य तक दिये जा सकते हैं और मुख्य चिकित्सक/संस्था का चिकित्सक और/अथवा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक शिष्यों के प्रशिक्षण प्रभारी होंगे।

(ग). सूचीबद्ध करना :

किसी भी पाठ्यक्रम के लिए गुरु का चयन शासी निकाय के अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा नामित विशेषज्ञों की एक जांच-समिति (सर्च कमेटी) द्वारा



किया जाता है। समिति विद्वानों और वैद्यों के जीवन-वृत्तों की जांच करती है और उनकी क्षमता पर समुचित विचार-विमर्श करने के बाद गुरु का चयन किया जाता है और शासी निकाय से उनको सूचीबद्ध करने के लिए संस्तुति की जाती है। शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात्, गुरुपद एवं रा.आ.वि. के नियमों के अनुपालन के लिए उनकी इच्छा जानने तथा उनके पास प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में पता लगाने के उपरान्त, जब कभी भी रिक्त स्थान होता है तो उनके पास सूचीबद्ध करने के संबंध में पत्र भेजा जाता है। गुरु का चयन पूर्णतया अस्थायी आधार पर, सामान्यतः एक पाठ्यक्रम अवधि के लिए अर्थात् राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एक वर्ष के लिए तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सदस्य पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष के लिए होता है। शासी निकाय या शासी निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा गुरु के कार्य की समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तो उनकी कार्यावधि बढ़ाई जाती है। गुरु के पास कोई शिष्य नहीं होने या उनके अधीन सभी शिष्यों द्वारा अपना पाठ्यक्रम अध्ययन की अवधि पूर्ण कर लिए जाने पर, उनकी नियुक्ति पूर्ण मानी जाती है।

4.1.3 शिष्य

सीआरएवी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है।

सीआरएवी पाठ्यक्रम में आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पूर्वस्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और स्नातकोत्तर उपाधि धारकों के लिए 32 वर्ष है। सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्रायोजित स्थायी रूप से नियुक्त वैद्यों (डाक्टरों) को आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अभ्यर्थियों की अर्हताएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक हैं।

प्राप्त आवेदनपत्रों की जांच करने के बाद, पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा में,



चिकित्सा विषयों पर विशेष बल देते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की विवरणिका में दिये गए विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। शिष्य के चयन में, शिष्य की चयन परीक्षा में श्रेष्ठता और विषय/गुरु की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। सीआरएवी पाठ्यक्रम में चिकित्सा अधिकारियों को वरीयता दी जाती है।

चुने गए अभ्यर्थियों को इस आशय का एक बन्धपत्र (बाण्ड पेपर) जमा करना होता है कि यदि शिष्य बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है या उस शिष्य को विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने पर निष्कासित किया जाता है, तो उस शिष्य को विद्यापीठ से ली गई सम्पूर्ण शिक्षावृत्ति 12 प्रतिशत ब्याज सहित विद्यापीठ को लौटानी होती है। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद, शिष्यों को, देश के विभिन्न भागों में स्थित सम्बन्धित गुरुजनों के संरक्षण में प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाता है।

4.1.4 मानदेय एवं शिक्षावृत्ति

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक महीने गुरुजनों को मानदेय व शिष्यों को शिक्षावृत्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक गुरु को प्रशिक्षण देने के लिए 2 से 4 तक शिष्य दिये जाते हैं। गुरुजनों का मानदेय केवल 15820/-रुपये तथा समय-समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं दो शिष्यों तक 5000/-रुपये है। यदि किसी गुरु के पास दो से अधिक शिष्य होते हैं तो उन्हें 2000/-रुपये प्रति शिष्य की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। इसी प्रकार सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए शिक्षावृत्ति केवल 15820/-रुपये एवं समय-समय पर लागू महंगाई भत्ता है। एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के लिए केवल 15820/-रुपये एवं समय-समय पर लागू महंगाई भत्ता एवं इसके अतिरिक्त 2500/-रुपये की शिक्षावृत्ति है।

4.1.5. परीक्षा

एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष के अन्त में शिष्यों की अन्तिम परीक्षा तीन भागों में आयोजित की जाती है:-

(क) शिष्य द्वारा तैयार शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन



(ख) तीन घंटे की लिखित परीक्षा

(ग) मौखिक परीक्षा

अनुमोदन/अस्वीकरण के आधार पर शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन किया जाता है। शोधप्रबन्ध के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् शिष्य की लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के तीनों भागों में से प्रत्येक में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने पर शिष्य को 'रा.आ.वि. का सदस्य पाठ्यक्रम' का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उसका अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की जाती है।

सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिष्य अपने अध्ययन के अन्त में सीखे गए विषय की उल्लेखनीय बातों अर्थात् विशेष रोगों का उपचार, औषधियों एवं विशिष्ट प्रकरणों का सारांश देते हुए एक मोनोग्राफ तैयार करता है जो 25 पृष्ठों से अधिक नहीं होता और वह परीक्षा से एक माह पूर्व इसे विद्यापीठ को भेजता है। शिष्यों से, अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान देखे गए कुछ रुचिकर मामलों पर विशेष केस रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा जाता है। परीक्षा दो भागों में होती है (क) तीन घंटों की लिखित परीक्षा (ख) मौखिक परीक्षा। लिखित व मौखिक परीक्षा के लिए मोनोग्राफ, केस रिपोर्ट और मासिक रिकार्ड शीटें आधार बनती हैं। शिष्य के प्रशिक्षण अवधि के लिए उसके गुरु से शिष्य के आन्तरिक मूल्यांकन के लिए भी कहा जाता है। लिखित व मौखिक परीक्षा में अलग-अलग संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले सफल अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। असफल अभ्यर्थियों को तीन माह की अवधि के लिए उनके गुरु के पास पुनः भेजा जाता है। इस अवधि के बाद उनसे पुनः परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है। गुरु के पास अतिरिक्त समय तक रहने के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी जाती है।

उत्तीर्ण शिष्यों को दीक्षान्त समारोह में प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

4.1.6. उपलब्धियां

अभी तक एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के 71 शिष्य एवं सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के 936 शिष्य अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं।



4.2. दीक्षान्त समारोह :

विद्यापीठ सफल अभ्यर्थियों को यथोचित मान्यता प्रदान करने तथा आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में योग्य अभ्यर्थियों को मान्यता प्रदान करने एवं प्रोत्साहन देने जैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तीर्ण शिष्यों को प्रमाणपत्र प्रदान करने और विख्यात विद्वानों एवं वैद्यों को आयुर्वेद की प्रगति हेतु उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की अध्येतावृत्ति से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन करता है।

4.3. अध्येतावृत्ति सम्मान (फेलोशिप) :

विद्यापीठ अपने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वानों और विभिन्न पारम्परिक आयुर्वेदिक कर्माभ्यासियों को उनकी विद्वत विशेषज्ञता और शिक्षा, अनुसन्धान, रोगी की देखभाल और/अथवा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करता है। यह एक मानद सम्मान है, जिसमें प्रत्येक रत्नसदस्य का राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह में एक प्रशस्तिपत्र द्वारा अभिनन्दन किया जाता है और एक शॉल व एक कलश/स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष शासी निकाय द्वारा विद्वानों के जीवनवृत्तों के आधार पर इन अध्येतावृत्तियों का निर्धारण किया जाता है। अभी तक 304 विद्वानों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की अध्येतावृत्ति प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित विद्वानों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई:-

1. डॉ. संध्या पटेल, नडियाड, गुजरात
2. डॉ. संजीव गोयल, चंडिगढ़, पंजाब
3. डॉ. मनोरंजन साहू, वाराणसी (उ.प्र.)
4. डॉ. शिवनारायण नरसिंहलाल गुप्ता, नडियाड, गुजरात
5. डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना



6. प्रो. लालता प्रसाद, बरेली (उ.प्र.)
7. वैद्य रविन्द्र वात्सयान, लुधियाना, पंजाब
8. डॉ. सुभाष रानडे, पुणे (महा.)
9. वैद्य बुध प्रकाश गुप्ता, दिल्ली
10. डॉ. श्रीराम एस. सावरिकर, मुंबई (महा.)

ब) जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार)

आयुर्वेद की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक विद्वानों को जीवन पर्यन्त उपलब्धियाँ पुरस्कार से सम्मानित किया गया

1. वैद्य एस. के. मिश्रा, नई दिल्ली
2. वैद्य सुरेश चतुर्वेदी, मुंबई (महा.)

4.4. राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी :

विद्यापीठ प्रत्येक वर्ष, ऐसे रोग के विषय पर एक सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित करता है, जिसमें आयुर्वेदिक निदान एवं उपचार के लिए विचारों का आदान-प्रदान, विचार-विमर्श तथा चिकित्सा संबंधी अनुभव को प्रसारित करना अपेक्षित है। अभी तक क्षार-सूत्र, हृदय-रोग, आयुर्वेदिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास, नाड़ी विज्ञान, आशुकारी आयुर्वेदिक औषधियाँ एवं तकनीक, शोथहर एवं जीवाणु नाशक आयुर्वेदिक औषधियाँ, एड्स, थायरॉयड रोग, रसायन तथा वृक्क एवं अन्य मूत्र विकार, यकृत पैतृक एवं प्लीहा रोग, मधुमेह (2), मानसिक स्वास्थ्य, वातव्याधि, मोटापा, महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य रक्षा, हृदय रोग निवारण, त्वक् रोगों का उपचार, कैंसर (2), स्वतः रोग प्रतिरक्षा क्षमता और बस्तिकर्म विषयों पर 23 सम्मेलन/संगोष्ठियाँ आयोजित की जा चुकी हैं।



4.5. आयुर्वेद के अध्यापकों एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रीय सम्भाषा कार्यशालाएं :

अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत कर रहे शिष्यों, कनिष्ठ शिक्षकों एवं युवा वैद्यों का यह आम अनुभव रहा है कि पाठ्यपुस्तकों के विषयों/शीर्षकों पर उनके सामने कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिनके लिए व्याख्या/स्पष्टीकरण, परस्पर वार्ता और वैज्ञानिक समझ अपेक्षित है। कुछ महाविद्यालयों में जहाँ अनुभवी एवं योग्य संकायों की कमी है, वहाँ विद्यार्थी आयुर्वेद की अवधारणाओं और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता को समझने का लगातार प्रयास करते हैं।

विद्यार्थियों द्वारा बार-बार यह मुद्दा उठाया जाता है और उस पर तर्क दिया जाता है कि कुछ ऐसे विषयों को जिनकी मौजूदा वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या नहीं की जा सकती है, पाठ्यक्रम/ग्रन्थों (पाठ्यपुस्तकों) से हटा दिया जाए, क्योंकि वे वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।

परन्तु ऐसे निर्णय पर पहुँचने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि शिष्यों एवं प्रख्यात विद्वानों तथा अनुभवी वैद्यों में परस्पर बातचीत की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे शंका के ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर मिल सके। यह पाया गया है कि किसी विशिष्ट विषय/शीर्षक पर आयोजित संगोष्ठियां उसी विषय पर विचार-विमर्श करने तक सीमित रहती हैं और कई बार समय के अभाव में विद्यार्थियों एवं भागीदारों की शंकाएं दूर करने में अक्षम रहती हैं। शिक्षण के क्षेत्र में प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन को शामिल करके एवं लोगों की स्वास्थ्य रक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से दैनिक कर्माभ्यास में उन्हें लागू करने से पेशेवरों में आज के ज्ञान में प्राचीन विचारों के अनुप्रयोग के सम्बन्ध में प्रश्न उठने की पूरी सम्भावना है।

इन कार्यशालाओं में संहिताओं, निघंटुओं, चिकित्सा ग्रन्थों तथा आयुर्वेद की अन्य पाठ्यपुस्तकों के चुने गए विषयों पर शिष्यों से ऐसे प्रश्न आमंत्रित किये जाते हैं जिन पर वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। शिष्यों से प्रश्न मिलने पर उन्हें ऐसे आयुर्वेदिक विद्वानों (साधन सम्पन्न व्यक्तियों) के पास भेजा जाता है, जिन्हें उस विषय का समुचित ज्ञान हो और जो उनकी शंकाओं का समाधान कर सकते हों। प्रश्नोत्तरों को एक पुस्तक के रूप में समेकित करके और वैज्ञानिक विचार-विमर्श



के लिए कार्यशाला में वितरित किया जाता है। प्रश्नकर्ताओं और विशेषज्ञों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा अभी तक 24 सम्भाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है तथा कार्यशाला में विचार-विमर्श किये गए प्रश्नोत्तर वाली पुस्तकें तैयार कर उनका विमोचन भी किया जा चुका है।

4.6. संहिता आधारित औषधीय निदान विषय पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वर्ष 2012 में आयुर्वेद शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान के स्तरों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक संस्थानों के सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि कई संस्थानों के नैदानिक अभिलेखों में दशविध परीक्षा, स्रोतस परीक्षण आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित औषधीय रोग निदान की कला और आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों के साथ ही स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने आयुर्वेदिक रोग निदान के तरीकों की यह कला सीखने में रुचि दिखाई है।

उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों द्वारा संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित आयुर्वेदिक रोग निदान के तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था।

आयुर्वेद हमारे देश की एक स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है और यह भारत में कई सदियों से प्रयोग में है। जनता के लिए कई उपचार पद्धतियां, चिकित्सा पद्धतियाँ एवं औषधियाँ मौजूद हैं। बहुत से कर्माभ्यासी या तो अपने पूर्वजों से परम्परागत ज्ञान प्राप्त करके अथवा स्वयं के अनुभव से आयुर्वेद का कर्माभ्यास कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं। रोगी देख-भाल के क्षेत्र में उन्हें जो ज्ञान एवं कौशल प्राप्त है, उसे युवा वैद्यों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, रोग निदान और उपचार में आयुर्वेद के इस ज्ञान की आयुर्वेद की



अवधारणाओं के अनुसार ही व्याख्या किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2017-18में नई दिल्ली और हरिद्वार में दो ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4.7. "चरक आयतनम्" (एक छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम)

संहिता आयुर्वेद का आधार है। वे आयुर्वेद की सबसे नैदानिक शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकें हैं। हालांकि यह देखा गया है कि उनकी नैदानिक प्रासंगिकता को ठीक से समझाया और सिखाया नहीं गया है। फलस्वरूप, इन्हें सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तकों के रूप में माना जाता है।

चरक संहिता कायचिकित्सा का मूल पाठ है, चरक आयतनम् कार्यक्रम चरक संहिता की प्रमाणिक-नैदानिक समझने और नैदानिक अभ्यास में इसकी प्रासंगिकता प्रदान करने का एक प्रयास है।

4.8. प्रकाशन :

विद्यापीठ आयुर्वेद की कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है, जो जन-साधारण में जागरूकता पैदा करती हैं और साथ ही आयुर्वेद एवं सम्बद्ध विज्ञानों के विद्यार्थियों तथा पेशेवरों के लिए भी उपयोगी हैं। यह विद्यापीठ, आवश्यक पुनरीक्षा एवं विशेषज्ञ-समिति की संस्तुतियों तथा शासी निकाय से अनुमोदन लेने के पश्चात्, अपने शिष्यों के शोधप्रबन्धों का प्रकाशन भी करता है। रा.आ.वि. ने द्विवर्षीय पाठ्यक्रम वाले अपने शिष्यों द्वारा प्रस्तुत शोधप्रबन्धों पर आधारित चार पुस्तकों सहित अभी तक 23 स्मारिकाएं और 15 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। सम्भाषा कार्यशालाओं से संबंधित चौबीस प्रश्नोत्तरी वाली पुस्तकों का प्रकाशन भी इस विद्यापीठ द्वारा किया गया है।

5. तकनीकी रिपोर्ट : (वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित क्रिया-कलाप)

5.1. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान शासी निकाय की एक बैठक तथा स्थायी वित्त समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। विवरण निम्नवत् है :-



(क) शासी निकाय की बैठक :

वर्ष के दौरान शासी निकाय की एक बैठक (43^{वीं} शासी निकाय बैठक) 11 अगस्त 2017 को आयोजित की गई थी, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

11 अगस्त 2017 को आयोजित शासी निकाय की 43^{वीं} बैठक :

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. 'पद्म भूषण' वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा, नई दिल्ली- अध्यक्ष शासी निकाय।
2. अतिरिक्त सचिव (एफ. ए.), या उनके प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मंत्रालय और एफ. डब्ल्यू
3. वैद्य शिव कुमार मिश्रा, नई दिल्ली
4. डॉ. निरंजन सिंह त्यागी, हापुड़
5. डॉ. (श्रीमती) एच. आर. विजया शेषाद्रि, चेन्नई
6. डॉ. बल्लभ कुमार जयसिंह, पुरी
7. डॉ. संजीव गोयल, चंडीगढ़
8. डॉ. संजय आर. तळमले, मुंबई
9. श्री आर. सी. अग्रवाल, डी.डी.जी. - आयुष मंत्रालय
10. सुश्री शीला तिकी, अवर सचिव-आयुष मंत्रालय
11. डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय-सदस्य सचिव एवं निदेशक, आरएवी।

शासी निकाय की 43^{वीं} बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णय :

शासी निकाय की 43^{वीं} बैठक 11 अगस्त, 2017 को आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें अनुमोदित की गयीं थी :

1. वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखोंका अनुमोदन किया गया।
2. वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्राक्कलन का अनुमोदन किया गया।



3. वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
4. स्नातकोत्तर विद्वानों और युवा अध्यापकों के बीच परस्पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन को अनुमोदित किया गया।
5. प्रति कार्यक्रम मात्र 5.00 लाख रुपये की बजटीय सीमाओं के भीतर तीन विभिन्न स्थानों पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए 03 दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।
6. हाल ही में संपन्न 23वें राष्ट्रीय संगोष्ठी, 21वीं दीक्षांत समारोह और रजत जयंती समारोह के लिए 29-30 मई, 2017 को आयोजित किए गए के लिए रुपये 41,75,000/- अनुमोदित किया गया।
7. डॉ. बी.एल. गौड़ को रुपये 3,00,040/- की शेष राशि जारी करने के लिए अनुमोदित किया।
8. सत्र 2016-17 से गुरुओं को दिये जाने वाले आकस्मिक खर्चों को बंद करने का अनुमोदित किया।
9. एन.सी.टी., भारत सरकार के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के मजदूरी को बढ़ाने का अनुमोदित किया गया।
10. शासी निकाय ने एम.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम के संबंध में आगे की कार्यवाही का सुझाव देने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया।

(ख) स्थायी वित्त समिति की बैठक

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान स्थायी वित्त समिति की एक बैठक दिनांक 15 जून, 2017 को स्थायी वित्त समिति के पदेन सदस्यों के साथ आयोजित की गई थी।

15 जून, 2017 को आयोजित 28^{वीं} स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय - पदेन सदस्य



2. डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद) - पदेन सदस्य
3. श्री जी. आर. रायगर, उप-सचिव, (अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि) - पदेन सदस्य।
4. वैद्य शिव कुमार मिश्रा, नई दिल्ली- सदस्य।
5. श्री आर.सी. अग्रवाल, डी.डी.जी, आयुष मंत्रालय-आमंत्रित सदस्य
6. डॉ ए. रघु, उप सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली- आमंत्रित सदस्य
7. डॉ. एम. ए. कासमी, उप-सलाहकार (यूनानी), आयुष मंत्रालय- आमंत्रित सदस्य
8. परामर्शदाता, एन.आई, आयुष मंत्रालय-आमंत्रित सदस्य

स्थायी वित्त समिति की 28^{वीं} बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय:-

स्थायी वित्त समिति की 28^{वीं} बैठक 15 जून, 2017 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्तुतियां अनुमोदित की गई थीं।

1. डॉ. बी. एल. गौड़ को रुपये 3,00,040/- की शेष राशि जारी करने के लिए अनुमोदित किया।
2. डॉ. के.आर. शर्मा को दिये गये अग्रिम राशि रुपये 8000/- को छोड़ने के लिए अनुमोदित किया।
3. आर.ए.वी. के प्रकाशनों को आरोग्य मेलों में 35% की छूट देने के लिए अनुमोदित किया।
4. हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के दौरान हुए व्यय रुपये 16,02,656/- के लिए अनुमोदित किया।
5. आर.ए.वी. वेबसाइट की मेजबानी के लिए क्लाउड सर्वर की खरीद के लिए अनुमोदित किया।
6. वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्राक्कलन का अनुमोदित किया।



7. प्रति कार्यक्रम मात्र 5.00 लाख रुपये की बजटीय सीमाओं के भीतर तीन विभिन्न स्थानों पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए 03 दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुमोदित किया।
8. स्नातकोत्तर विद्वानों और युवा अध्यापकों के बीच परस्पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन को अनुमोदित किया।
9. प्रति कार्यक्रम मात्र 7.00 लाख रुपये की बजटीय सीमाओं के भीतर दो विभिन्न स्थानों पर स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए 02 संहिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन को अनुमोदित किया।
10. मंत्रालय द्वारा विकसित 'आयुर्वेदिक मानक उपचार दिशानिर्देश' के मुद्रण के लिए अनुमोदित किया।
11. वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखों का अनुमोदित किया।
12. हाल ही में संपन्न 23वें राष्ट्रीय संगोष्ठी, 21वीं दीक्षांत समारोह और रजत जयंती समारोह के लिए 29-30 मई, 2017 को आयोजित किए गए के लिए रुपये 41,75,000/- अनुमोदित किया गया।

5.2. गुरु शिष्य परम्परा :

(क) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी. आर.ए.वी.)

रा.आ.वि. के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के गुरुजनों का चयन :

वर्ष 2017-18 में नए सत्र के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम में गुरुजनों की नियुक्ति हेतु 18 नवम्बर, 2017 को 'विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी. पी.)' के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर सभी प्रमुख समाचारपत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भावी वैद्यों/विद्वानों से लगभग 32 नए आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।



प्राप्त आवेदनपत्रों की जांच के लिए रा.आ.वि. के शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन से निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए शासी निकाय की एक उपसमिति गठित की गई थी :-

1. डॉ. मनोज नेसरी, अध्यक्ष
सलाहकार (आयुर्वेद),
आयुष मंत्रालय,
'बी' ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए.,
नई दिल्ली-110 023
2. वैद्य शिव कुमार मिश्र, सदस्य
पूर्व सलाहकार (आयुर्वेद) भारत सरकार,
ए-604, टावर अपार्टमेंट्स,
स्वास्थ्य विहार,
दिल्ली-110 092
3. प्रोफेसर ए. शंकर बाबू, सदस्य
6-7-621, श्रीपुरम कॉलोनी,
के. टी. रोड, तिरुपति चित्तूर,
आंध्र प्रदेश - 517501
4. डॉ. संजीव गोयल, सदस्य
88/सेक्टर-28 ए.,
चंडीगढ़-160 002

उपरोक्त समिति ने आवेदनपत्रों की जांच की और पात्रता एवं मानदण्डों के अनुसार 32 आवेदनपत्रों में से 10 नामों का चयन किया। इसके अतिरिक्त शासी निकाय के सदस्यों द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार कुछ और नामों पर भी विचार किया गया था। गुरुजनों के नामों को अन्तिम रूप देने के लिए 10 मार्च, 2018 और 14 मई, 2018 को उपसमिति की दूसरी एवं तृतीय बैठक क्रमशः आयोजित की गई, इस प्रकार 47 वैयक्तिक गुरुजनों और 5 संस्थागत गुरुजनों को शामिल करते हुए कुल 52 गुरुजनों का चयन किया गया है। इस वर्ष के लिए सी.आर.ए.वी. के लिए सूचीबद्ध गुरुजनों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-



क्र.	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय
1.	डॉ. एल. सुचरिता, बेंगलुरु(कर्नाटक)	स्त्री रोग
2.	डॉ. विजयन नांगेलिल, कोथामंगलम् (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा
3.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा
4.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	फार्मसी
5.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मसी
6.	डॉ. विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मसी
7.	डॉ. सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)	फार्मसी
8.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्र चिकित्सा
9.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	क्षारसूत्र
10.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र
11.	डॉ. रमन सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
12.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र



13.	डॉ. के. वी. एस. राव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र
14.	वैद्य सतपाल गुप्ता, अम्बाला छावनी (हरियाणा)	क्षारसूत्र
15.	डॉ. दिनेश चंद्र, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	क्षारसूत्र
16.	डॉ. लालता प्रसाद, बरेली (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र
17.	डॉ. हर्षवर्धन जोबनपुर, नाडियाड (गुजरात)	क्षारसूत्र
18.	वैद्य निमकर आनंद सदानंद, सतारा (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
19.	वैद्य सुविनय विनायक दामले, सिंधूदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
20.	डॉ. मणि भूषण कुमार, पटना (बिहार)	कायचिकित्सा
21.	वैद्य गोपीलाल टिटोनी, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा
22.	वैद्य बिनोद जोशी, हलद्वानी (उत्तराखंड)	कायचिकित्सा
23.	वैद्य अनिल कुमार दुबे, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
24.	वैद्य नामधर शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
25.	वैद्य. श्री श्री मां अनन्तानंद तीरथ, अहमदाबाद (गुजरात)	कायचिकित्सा



26.	डॉ. रमेश आर. वारियर, मदुरई (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
27.	डॉ. सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा
28.	डॉ. वी. श्रीकुमार, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
29.	डॉ. रविशंकर परवजे, दक्षिणकन्नडा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा
30.	वैद्य दिनेशचंद्र डी. गौराडिया, मुम्बई (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
31.	वैद्य रामदास म्हालुजी अक्काड, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
32.	डॉ. के. चिदंबरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा
33.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
34.	वैद्य ताराचन्द्र शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा
35.	डॉ. नरेन्द्र गुजराती नारायणदास, जलगाँव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
36.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा
37.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
38.	डॉ. मधुसूदन देशपाण्डे, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा



39.	वैद्य जगजीत सिंह, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा
40.	डॉ. सी. एम. श्रीकृष्णन, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा
41.	वैद्य. जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा "बसंत" सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा
42.	डॉ. संतोष भगवानराव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
43.	वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
44.	डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा
45.	डॉ. दमानिया पंचामाई, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा
46.	वैद्य अनिल भारद्वाज, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा
47.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा
48.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट, पुणे (महाराष्ट्र) (वैद्य एस. पी. सरदेशमुख)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)
49.	आर्यवैद्य चिकित्सालयम् एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (डॉ. पी.आर. कृष्णकुमार)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)
50.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टाक्कल, (केरल) (डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारियर)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)
51.	श्रीमती मनीबेन अमृतलाल हरगोवन सरकारी आयुर्वेद अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात), (डॉ. कंदर्प देसाई)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)



52.	श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम (केरल) (डॉ. नारायण नम्बूदरी)	नेत्र चिकित्सा (संस्थागत गुरु)
-----	---	-----------------------------------

(ख) सीआरएवीपाठ्यक्रम के शिष्यों का प्रवेश एवं प्रशिक्षण :

इस वर्ष के दौरान शिष्यों को प्रवेश देने के उद्देश्य से 30 जून, 2018 को पूरे देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को इन विज्ञापनों की प्रतियाँ उनके सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करने के लिए भेजी गई थी। विज्ञापनों की प्रतियाँ पाठ्य-विवरणिका एवं अन्य नियमावली के साथ सभी गुरुजनों एवं शासी निकाय के सदस्यों को भी भेजी गई थी।

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में लगभग 1265 आवेदनपत्र प्राप्त हुए और उनकी जांच की गई थी। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 1247 पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी किए गए थे। परीक्षा 22 जुलाई, 2018 को दिल्ली, पटना, पुणे और त्रिशूर के पूर्व अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई थी। चारों केन्द्रों में कुल 1169 आवेदकों ने परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया गया था। योग्यता के आधार पर कुल 150 शिष्य चुने गए थे।

इस प्रकार निम्नलिखित 125 शिष्य 52 गुरुजनों के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्र.	गुरुजनों का नाम एवं स्थान	विषय	शिष्यों की संख्या
1.	डॉ. एल. सुचरिता, बेंगलुरु (कर्नाटक)	स्त्री रोग	01
2.	डॉ. विजयन नांगेलिल, कोथामंगलम् (केरल)	अस्थि एवं मर्म चिकित्सा	03



3.	डॉ. सी. सुरेश कुमार, त्रिवेन्द्रम (केरल)	अस्थि चिकित्सा	04
4.	डॉ. डी. रामानाथन, त्रिशूर (केरल)	फार्मसी	03
5.	डॉ. विजय विश्वनाथ डोईफोडे, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मसी	01
6.	डॉ. विवेक दत्तात्रेय साने, पुणे (महाराष्ट्र)	फार्मसी	01
7.	डॉ. सूर्य प्रकाश शर्मा, कोलकता (पश्चिम बंगाल)	फार्मसी	01
8.	डॉ. आई. भावदासन नम्बूदरी, कन्नूर (केरल)	नेत्र चिकित्सा	02
9.	डॉ. मुकुल पटेल, सूरत (गुजरात)	क्षारसूत्र	01
10.	वैद्य देवेन्द्र कुमार शाह, अहमदाबाद (गुजरात)	क्षारसूत्र	02
11.	डॉ. रमन सिंह, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	02
12.	डॉ. हेम राज शर्मा, ऊना (हिमाचल प्रदेश)	क्षारसूत्र	01
13.	डॉ. के. वी. एस. राव, भिलाई (छत्तीसगढ़)	क्षारसूत्र	03
14.	वैद्य सतपाल गुप्ता, अम्बाला छावनी (हरियाणा)	क्षारसूत्र	02
15.	डॉ. दिनेश चंद्र, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	क्षारसूत्र	01



16.	डॉ. लालता प्रसाद, बरेली (उत्तर प्रदेश)	क्षारसूत्र	02
17.	डॉ. हर्षवर्धन जोबनपुत्र, नाडियाड (गुजरात)	क्षारसूत्र	01
18.	वैद्य निमकर आनंद सदानंद, सतारा (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
19.	वैद्य सुविनय विनायक दामले, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	00
20.	डॉ. मणि भूषण कुमार, पटना (बिहार)	कायचिकित्सा	00
21.	वैद्य गोपीलाल टिटोनी, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा	02
22.	वैद्य विनोद जोशी, हलद्वानी (उत्तराखंड)	कायचिकित्सा	02
23.	वैद्य अनिलकुमार दुबे, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
24.	वैद्य नामधर शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	02
25.	वैद्य. श्री श्री मां अनन्तानंद तीरथ, अहमदाबाद (गुजरात)	कायचिकित्सा	02
26.	डॉ. रमेश आर. वारियर, मदुरे (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	04
27.	डॉ. सत्य प्रकाश गुप्ता, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा	02
28.	डॉ. वी. श्रीकुमार, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	02



29.	डॉ. रविशंकर परवजे, दक्षिणकन्नडा (कर्नाटक)	कायचिकित्सा	04
30.	वैद्य दिनेशचंद्र डी. गोराडिया, मुम्बई (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
31.	वैद्य रामदास म्हालुजी अक्हाड़, अहमदनगर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	04
32.	डॉ. के. चिदंबरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	कायचिकित्सा	04
33.	वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	02
34.	वैद्य ताराचन्द्र शर्मा, नई दिल्ली	कायचिकित्सा	02
35.	डॉ. नरेन्द्र गुजराती नारायणदास, जलगाँव (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
36.	डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, सिकंदराबाद (तेलंगाना)	कायचिकित्सा	03
37.	डॉ. धनराज विश्वेश्वर गहुकर, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	04
38.	डॉ. मधुसूदन देशपाण्डे, भोपाल (मध्य प्रदेश)	कायचिकित्सा	02
39.	वैद्य जगजीत सिंह, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा	01
40.	डॉ. सी. एम. श्रीकृष्णन, त्रिशूर (केरल)	कायचिकित्सा	02
41.	वैद्य. जगदीश्वरी प्रसाद मिश्रा "बसंत" सीतामढ़ी (बिहार)	कायचिकित्सा	01



42.	डॉ. संतोष भगवानराव नेवपुरकर, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
43.	वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी, नागपुर (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	03
44.	डॉ. विनय वासुदेव वेलणकर, थाने (महाराष्ट्र)	कायचिकित्सा	02
45.	डॉ. दमानिया पंचाभाई, जूनागढ़ (गुजरात)	कायचिकित्सा	02
46.	वैद्य अनिल भारद्वाज, चंडीगढ़ (पंजाब)	कायचिकित्सा	02
47.	वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	कायचिकित्सा	01
48.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट, पुणे (महाराष्ट्र) (वैद्य एस. पी. सरदेशमुख)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)	06
49.	आर्यवैद्य चिकित्सालयम् एवं अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) (डॉ. पी.आर. कृष्णकुमार)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)	06
50.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टाक्कल, (केरल) (डॉ. पी. माधवनकुट्टी वारियर)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)	07
51.	श्रीमती मनीबेन अमृतलाल हरगोवन सरकारी आयुर्वेद अस्पताल, अहमदाबाद (गुजरात), (डॉ. कंदर्प देसाई)	कायचिकित्सा (संस्थागत गुरु)	05
52.	श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम (केरल) (डॉ. नारायण नम्बूदरी)	नेत्र चिकित्सा (संस्थागत गुरु)	05
कुल शिष्यों की संख्या			125



5.3 संहिता आधारित औषधीय निदान पर आयुर्वेदिक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने वर्ष 2013-14 में इस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों ने संहिताओं (ग्रन्थों) पर आधारित जांच करने के नैदानिक तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन उपलब्ध करवाने के लिए एक आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, क्योंकि यह देखा गया था कि कई संस्थानों के चिकित्सा अभिलेखों में दशविध परीक्षा, स्रोतस परीक्षा आदि जैसी सूचना नहीं थी। संहिताओं पर आधारित नैदानिक जांच की कला और आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन तरीके विलुप्त हो रहे हैं। कई अध्यापकों ने आयुर्वेदिक निदान के तरीकों की यह कला सीखने में अभिरुचि दिखाई।

अतः आयुर्वेद के ग्रन्थों तथा आयुर्वेद में वर्णित प्राचीन पद्धति पर आधारित नैदानिक निदान कला के कर्माभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने औषधी, विकृति विज्ञान और आयुर्वेद पंचकर्म के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये :-

क्रमांक	स्थान	अवधि
1.	नई दिल्ली	05-06 जनवरी, 2018
2.	हरिद्वार	09-10 फरवरी, 2018

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रख्यात विद्वानों ने व्याख्यान दिये और व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लगभग 430 अध्यापक लाभान्वित हुए।

5.4 चरक आयतनम् (आयुर्वेद के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्वानों के लिए 6 दिवसीय पूर्ण आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम)

संहिता आयुर्वेद का आधार है। वे आयुर्वेद की सबसे महत्त्वपूर्ण नैदानिक शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकें हैं। हालांकि यह देखा गया है कि उनकी नैदानिक प्रासंगिकता को ठीक प्रकार से समझाया और सिखाया नहीं जाता। फलस्वरूप इन्हें सैद्धांतिक पाठ्य पुस्तकों के रूप में ही माना जाता है। नैदानिक तरीकों को,



दवा की एलोपैथिक प्रणाली को समझने के अनुसार सिखाया जाता है। इस प्रक्रिया में आयुर्वेदिक चिकित्सक भूल गए हैं कि नैदानिक निदान की आयुर्वेदिक विधि निदान की वर्तमान विधि से अत्यन्त बेहतर है, जो मुख्य रूप से प्रयोगशाला निर्भर हैं। एलोपैथिक प्रणाली के अनुसार बीमारियों का निदान करने की प्रवृत्ति और आयुर्वेदिक योगों के साथ उपचार को विभिन्न बीमारियों के हर्बल उपचार के रूप में कहा जा सकता है जो वास्तविक अर्थ में आयुर्वेद नहीं हैं। इसलिए रोगी के निकट रहकर संहिता को समझना और शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार उपचार करने की विधि को सीखना महत्वपूर्ण है।

चरक संहिता कायचिकित्सा का मूल पाठ है, वर्तमान कार्यक्रम चरक संहिता की प्रमाणिक नैदानिक समझ और नैदानिक अभ्यास में इसकी प्रासंगिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह कार्यक्रम छात्रों को चरक संहिता में वर्णित जीवनशैली जीने और अनुभव करने का मौका भी देगा और मन और शरीर पर इसके सकारात्मक प्रभाव का अनुभव भी करायेगा। आयुर्वेद के निष्ठावान गुरु चरक संहिता के आधार पर व्यावहारिक व क्रियाशील प्रशिक्षण, प्रतिभागियों को प्रदान करेंगे। चरक संहिता की समझ की विधि और आधुनिक जीवन शैली और आदतों के संदर्भ में इसकी व्याख्या छात्रों को वर्णित की जाएगी। चरक संहिता के कार्यक्रम में समझाए गए विभिन्न औषधिय पौधों की पहचान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। चरक आधारित नैदानिक निदान के अलावा चरक संहिता द्वारा वर्णित कुछ व्यंजनों का अनुभव कराया जायेगा, जिनमें पौष्टिक-औषधीय पदार्थों, आयुर्वेदिक दिनचर्या, चरक संहिता द्वारा वर्णित सरल सूत्रों की तैयारी, एकलद्रव्य चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 6 दिवसीय संहिता प्रशिक्षण कार्यक्रम "चरकायतन", 100 प्रशिक्षुओं के लिए डी.आर.आई., चित्रकूट, मध्यप्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

5.5 प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री :

वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने रुपये 7,66,745/- (सात लाख छियासठ हजार सात सौ पैंतालीस रुपये मात्र) मूल्य के अपने प्रकाशनों की बिक्री की थी।



5.6. अन्य क्रिया-कलाप

क) आरोग्य प्रदर्शनियों में भागीदारी :

विद्यापीठ ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी पर आयोजित दो आरोग्य प्रदर्शनियों, आयुर्वेद पर्व अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली और द्वितीय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस में भाग लिया था। विवरण निम्नलिखित है:-

- पहला आरोग्य 07-10 अप्रैल, 2017 तक इंदौर में आयोजित किया गया।
- द्वितीय आरोग्य 05-08 मई, 2017 तक चेन्नई में आयोजित किया गया।
- तृतीय आरोग्य 04-07 दिसम्बर, 2017 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- पहला आयुर्वेद पर्व 08-10 सितम्बर, 2017 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- द्वितीय आयुर्वेद पर्व 25-27 नवम्बर, 2017 तक पटियाला में आयोजित किया गया।
- तृतीय आयुर्वेद पर्व 22-25 दिसम्बर, 2017 तक अहमदाबाद में आयोजित किया गया।
- चतुर्थ आयुर्वेद पर्व 16-18 मार्च, 2018 तक पटना में आयोजित किया गया।
- द्वितीय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 16-17 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में मनाया गया।

आरोग्य प्रदर्शनियों के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के क्रिया-कलापों को प्रदर्शित करने के लिए स्टाल एवं पोस्टर लगाये गये थे तथा प्रकाशनों का प्रदर्शन किया गया था। इन मेलों के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रकाशनों की बिक्री के अतिरिक्त क्रियाकलापों तथा उपलब्धियों के सम्बन्ध में हिन्दी एवं अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की सूचना विवरणिकाएं दर्शकों को निःशुल्क वितरित की गई थी।



ख) सतत चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन

यह विद्यापीठ प्रधान कार्यालय के रूप में आयुष मंत्रालय की सतत चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) का कार्यान्वयन करता रहा है। ये कार्यक्रम देश भर की चुनिंदा संस्थाओं में शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों और आयुष तंत्र के अन्य कार्मिकों के ज्ञान को उन्नत बनाने और उन्हें संबंधित विषयों में रोग निदान, उपचार, औषध आदि के क्षेत्रों में प्रगति एवं अनुसन्धान परिणामों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किये गए थे। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा आयुष एवं एलोपैथी चिकित्सकों के लिए योग एवं आयुष के अन्य विषयों में पुनर्बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान 39 सीएमई कार्यक्रमों के लिए जी.आई.ए. 280 लाख रुपये की निधियां जारी की गई हैं इनमें अध्यापकों के लिए 27 सीएमई, चिकित्सकों के लिए 09 सीएमई, नर्सों के लिए 02 सीएमई और वेब आधारित शिक्षा कार्यक्रम के लिए 01 सीएमई शामिल हैं।

इस वर्ष के दौरान 10 संस्थाओं/महाविद्यालयों के विरुद्ध लंबित पड़े हुए 84.00 लाख रुपये की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का परिसमापन भी किया गया है।



वर्ष 2017-18 के दौरान अध्यापकों एवं चिकित्सकों के लिए आयुष के जारी किए गए सीएमई कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण :-

क्र. संख्या	राज्य	संस्थाओं की संख्या	आयुर्वेद		होम्योपैथी		यूनानी		चिद		योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा		टागची (सोबा रिफा)	विविध	जरी धनराशि (लाख रु. में)
			अध्यापकों के लिए सी.एम.ई. 1(6 दिन)	वैद्यों के लिए सी.एम.ई. 1(6 दिन)	अध्यापकों के लिए सी.एम.ई. 1(2 दिन)	वैद्यों के लिए सी.एम.ई. 1(6 दिन)	अध्यापकों के लिए सी.एम.ई. 1(6 दिन)	वैद्यों के लिए सी.एम.ई. 3(6 दिन)	अध्यापकों के लिए सी.एम.ई. 1(6 दिन)	वैद्यों के लिए सी.एम.ई. 2(6 दिन)	अध्यापकों के लिए सी.एम.ई. 1(6 दिन)	वैद्यों के लिए सी.एम.ई. 3(6 दिन)			
1.	उत्तीसगढ़	1+0	1(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(सीएमई नर्स)	10.50
2.	दिल्ली	2+0	1(6 दिन)	-	-	1(2 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50
3.	गुजरात	1+1	2(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(सीएमई वेब आधारित शिक्षा कार्यक्रम)	64.00
4.	केरल	0+1	1(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
5.	कर्नाटक	1+2	1(6 दिन)	1(6 दिन)	-	-	2(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	27.00
6.	मध्य प्रदेश	1+0	-	-	-	-	1(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	6.00
7.	महाराष्ट्र	0+5	4(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	1(6 दिन)	-	-	-	31.00
8.	मेघालय	1+0	-	1(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
9.	तमिलनाडु	2+3	-	-	1(6 दिन)	-	-	-	3(6 दिन)	2(6 दिन)	-	-	-	1(सीएमई नर्स)	42.50
10.	उत्तर प्रदेश	3+0	2(6 दिन)	-	-	-	3(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	31.00
11.	हिमाचल प्रदेश	1+1	1(6 दिन)	1(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	-	1(6 दिन)	-	18.00
12.	राजस्थान	1+1	2(6 दिन)	-	1(6 दिन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.24
13.	कुल	14+14 (28)	15	3	3	2	6	6	3	2	1	1	1	3	
01 पुराने संस्थानों की प्रशिपुति															
अन्य प्रकार															
कुल															
कुल कार्यक्रम = 39 लागर्था = बहुप्रतिशित, नजट अनुमान-100.00लाख रुपये, संशोधित अनुमान-300 लाख रुपये, वास्तविक अनुमान-300.00 लाख रुपये															



6. बजट और व्यय :

वर्ष 2017-18 के दौरान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्यापीठ को जी.आई.ए सामान्य के तहत सहायता अनुदान के रूप में 7,98,00,000/-रुपये (सात करोड़ अठ्ठानवें लाख रुपये मात्र) की राशि उपलब्ध कराई थी, इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के आन्तरिक सृजन के रूप में उपलब्ध 5,26,647/-रुपये और 74,70,841/-रुपये की अप्रयुक्त शेष राशि का उपयोग करने की भी अनुमति प्रदान की थी, जिससे कुल 8,77,97,488/-रुपये (आठ करोड़ सतहत्तर लाख संतानवें हजार चार सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) की राशि विद्यापीठ के योजना क्रिया-कलापों के लिए उपलब्ध हो गई। आयुष मंत्रालय ने जी.आई.ए., वेतन के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में 60,00,000/-रुपये (साठ लाख रुपये मात्र) भी उपलब्ध कराये और पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष राशि के रूप में बचे 40,92,797/-रुपये (चालीस लाख बयानवे हजार सात सौ संतानवें रुपये मात्र) को उपयोग करने की अनुमति दी। जिससे जी.आई.ए., वेतन के तहत कुल 1,00,92,797/-रुपये (एक करोड़ बयानवे हजार सात सौ संतानवें रुपये मात्र) उपलब्ध हो गए, तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2,00,000/-रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की राशि प्राप्त की गई।

योजना के तहत 8,77,97,488/-रुपये में से 8,77,97,488/- रुपये (आठ करोड़ सतहत्तर लाख संतानवें हजार चार सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) खर्च कर दिये गए थे और शून्य राशि शेष रह गई थी। जहां तक जी.आई.ए. वेतन का संबंध है 1,00,92,797/- रुपये में से 48,65,803/-रुपये (अड़तालीस लाख पैंसठ हजार आठ सौ तीन रुपये मात्र) की राशि खर्च कर ली गई जिससे जी.आई.ए. वेतनके तहत 52,26,994/-रुपये (बावन लाख छब्बीस हजार नौ सौ चौरानवे रुपये मात्र) रुपये की राशि शेष रह गई तथा 2,00,000/-रुपये में से शून्य राशि खर्च की गई, जिससे वर्ष 2017-18 के अन्त में जी.आई.ए. सामान्य (स्वच्छ भारत अभियान) के तहत 2,00,000/-रुपये (दो लाख रुपये मात्र) शेष रह गए। जी.आई.ए. सामान्य के तहत शून्य रुपये जी.आई.ए. वेतन के तहत 52,26,994/- रुपये एवं जी.आई.ए. सामान्य (स्वच्छ भारत अभियान) के तहत 2,00,000/- रुपये धनराशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान देय सहायता अनुदान के प्रति समायोजित किया जायेगा।



31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) अधिनियम-1971 की धारा 20(1) के अधीन, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (विद्यापीठ) के 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार संलग्न की गई उस वर्ष की तिथि को समाप्त किए गए तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा कर ली है। यह लेखापरीक्षा 2020-21 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। यह वित्तीय विवरण राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है, जो की हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में वर्गीकरण, अभिपुष्टि संबंधित सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटीकरण करने वाले मानकों इत्यादि के संबंध में लेखा-अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां मौजूद हैं। कानून, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि से सम्बन्धित वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने, अपनी लेखापरीक्षा को भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन इस तरह से करें, जिससे यह उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त (वर्णीकृत) गलत विवरणों से स्वतंत्र हैं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई धनराशि एवं प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच एक परीक्षण के आधार पर करना शामिल होता है। एक लेखा-परीक्षा में प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों एवं किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का आंकलन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र



प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

3. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह भी सूचित करते हैं कि :-

- (i) हमने वह सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे, जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट में शामिल किए गये तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखे एवं प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किये गए हैं।
- (iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा लेखा-बहियों तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का समुचित रख-रखाव किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा ऐसी बहियों का जांच करने से पता चलता है।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :-

(क) तुलनपत्र

(क.1) देनदारियाँ—1.52 करोड़ रुपये मात्र।

क.1.1 देनदारियों की देयता

विद्यापीठ के प्राप्ति और भुगतान के अनुसार, स्थापना व्यय रुपये 7,86,30,278/- के रूप में दिखाया गया था और आय और व्यय खाते के अनुसार, स्थापना व्यय रुपये 7,95,55,090/- जिसमें 'कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ' शीर्ष के तहत रुपये 9,24,812/- हैं। हालाँकि, कर्मचारियों के लाभों का प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 7 में 'वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के तहत बुक किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप देनदारियों की देयता 9.24 लाख रुपये हैं।



ख. सामान्य

ख.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के लिए विद्यापीठ द्वारा कोई मानक नहीं बनाया गया था जोकि आईसीएआई के लेखा मानक 15 के अंतर्गत आवश्यक है।

ख.2 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना संख्या एफ-5(53)/2002-ईसीबी और पीबी दिनांक 14.08.2008 निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि का निवेश विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों (55% तक), ऋण प्रतिभूतियों (40% तक), मुद्रा बाजार के साधन (5% तक) और कंपनियों की हिस्सेदारी (15% तक) में किया जाना चाहिए। हालाँकि, विद्यापीठ ने 76.76 लाख रुपये राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया था जोकि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार नहीं था।

(ग) सहायता अनुदान :

वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने 860.00 लाख रुपये (योजना अनुदान: 798.00 लाख रुपये, सामान्य: (स्वच्छ भारत अभियान) 2.00 लाख रुपये और वेतन: रु. 60.00 लाख रुपये) का अनुदान आयुष मंत्रालय से प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के लिए 115.64 लाख रुपये (योजना 66.90 लाख रुपये, गैर-योजना सामान्य: रुपये 7.81 लाख रुपये और गैर-योजना-वेतन: 40.93 लाख रुपये) का अप्रयुक्त अनुदान था। वर्ष के दौरान सामान्य के तहत इसकी अपनी प्राप्ति 5.26 लाख रुपये थीं। विद्यापीठ ने 926.63 लाख रुपये (सामान्य: योजना: 877.97 लाख और 48.66 लाख रुपये), का उपयोग किया और 31 मार्च, 2018 के अन्त तक 54.27 लाख रुपये (सामान्य: शून्य, वेतन: 52.27 लाख रुपये और सामान्य: (स्वच्छ भारत अभियान) 2.00 लाख रुपये) बिना खर्च हुए शेष रह गए।

V. पूर्ववर्ती परिच्छेदों में हमारे निरीक्षणों के अध्यधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल किये गए तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।



vi. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबन्ध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सही और सत्य स्थिति दर्शाते हैं;

(क) जहां तक इसका सम्बन्ध है यह 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के कार्यों से सम्बन्धित तुलनपत्र से है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध है उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय एवं व्यय से है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से
हस्ता./-

महानिदेशक लेखा परीक्षा
(केंद्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26.12.2018



अनुबंध

(1) आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की आन्तरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 तक की गई थी।

(2) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

1. आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा आपत्तियों के लिए प्रबंधकों का उत्तर प्रभावी नहीं था, क्योंकि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2016 तक आंतरिक लेखा परीक्षा के 15 पैराग्राफ बकाया थे।

2. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में कोई निवेश समिति गठित नहीं की गई थी।

3. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा संविदा पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।

(3) अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली :

वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

(4) स्टॉकों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली :

पुस्तकों एवं प्रकाशनों, लेखन सामग्री और उपभोग्य वस्तुओं का वर्ष 2017-18 तक प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

(5) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

दिनांक 31-3-2018 की स्थिति के अनुसार कोई भी सांविधिक देय छः माह से अधिक समय से बकाया नहीं था।



31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

विवरण	धनराशि (रु)		
	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
समग्र / पूंजीगत निधि	1	44,13,962.00	43,21,412.00
आरक्षित निधि और अधिवेष	2	13,89,669.00	9,96,767.00
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	7	1,52,09,549.00	1,85,38,942.00
कुल		2,10,13,180.00	2,38,57,121.00
परिसम्पतियाँ			
अचल परिसम्पतियाँ	8	9,66,545.00	10,85,569.00
उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश	9	-	-
निवेश-अन्य	10	76,76,049.00	66,06,279.00
वर्तमान परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	1,23,70,586.00	1,61,65,273.00
विविध-व्यय		-	-
(बढ़ते खाते नहीं डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			
कुल		2,10,13,180.00	2,38,57,121.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक दायित्व व लेखा सम्बन्धी टिप्पणियाँ	25		

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
 ह./-
 डॉ. मनोज नेसरी
 निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 31.05.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा
धनराशि (रु.)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
सेवाओं/बिक्री से आय	12	-	-
अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	13	9,25,70,741.00	8,61,06,035.00
शुल्क/अंशदान	14	37,191.00	-
निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधि पर निवेश करने से आय। निधियों का निधियों में अन्तरण)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से होने वाली आय	16	7,66,745.00	3,68,229.00
अर्जित ब्याज	17	40,732.00	15,39,718.00
अन्य आय	18	4,65,410.00	23,300.00
तैयार माल के भण्डार और चालू कार्य में वृद्धि/हास	19	-3,90,529.00	-3,68,229.00
कुल (क)		9,34,90,290.00	8,76,69,053.00
घटाए: गैर-योजना वेतन एवं गैर-योजना सामान्य अनुदान में अन्तर्गत आन्तरिक सृजित राशि		5,26,647.00	-
कुल (क) ब्याज आय के अन्तरण के बाद		9,29,63,643.00	8,76,69,053.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	7,95,55,090.00	7,71,53,421.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	1,28,04,077.00	87,85,793.00
अनुदान/आर्थिक सहायता पर खर्च	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अन्त में शुद्ध जोड़ अनुसूची 8 के तदनु रूप)		2,11,574.00	1,66,821.00
कुल (ख)		9,25,70,741.00	8,61,06,035.00
खर्च की तुलना में आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)		3,92,902.00	15,63,018.00
विशेष आरक्षित निधि में अन्तर्गत (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि में/उससे अन्तरण			



अधिवेश/घाटे से बचे शेष को समग्र/पूँजीगतनिधि में अग्रणीत किया गया		3,92,902.00	15,63,018.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ह. /-
डॉ. मनोज नेसरी
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.05.2018



तुलनपत्र के लिए अनुसूचियाँ :

धनराशि (रु.)

अनुसूची-1- समग्र/पूँजीगतनिधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	43,21,412.00		41,08,451.00	
जोड़े- समग्र/पूँजीगतनिधि के लिए अंशदान	92,550.00	44,13,962.00	2,12,961.00	43,21,412.00
जोड़े/(घटाए): आय एवं व्यय खाते से अन्तरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष				
वर्ष के अन्त में शेष		44,13,962.00		43,21,412.00

अनुसूची-2 आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
सामान्य आरक्षित निधि (खर्च की तुलना में आय की अधिकता)				
पिछले खाते के अनुसार	9,96,767.00		13,64,996.00	
जोड़े:-वर्ष के दौरान जोड़ा गया	3,92,902.00		15,63,018.00	
घटाए- कटौती (चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन)		13,89,669.00	19,31,247.00	9,96,767.00
कुल		13,89,669.00		9,96,767.00

	नधि-वार ब्यौरा	योग	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची-3-निर्धारित/ बन्दोबस्ती निधियाँ			
क) निधियों का प्रारम्भिक शेष			
ख) निधियों के लिए अतिरिक्त i)दान/अनुदान ii)निधियों से किए गए निवेश से आय iii)अन्य परिवर्धन			
कुल (कख)			



i) पूँजीगत व्यय	-	-	-	-
- अचल परिसम्पत्ति				
- अन्य				
कुल				
ii) राजस्व व्यय	-	-	-	-
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि				
- किराया				
- अन्य प्रशासनिक व्यय				
कुल				
कुल (ग)				
वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार शुद्ध शेष:- (क+ख+ग)				

टिप्पणियाँ

1. अनुदान से संबद्ध शर्तों के अधार पर संगत शीर्ष के अन्तर्गत प्रकटीकरण किए जायेंगे।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधियों के रूप में दिखाया जाना है और उरो किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना है।

अनुसूची-4-प्रतिभूति सहित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं (क) मियादी ऋण (ख) ब्याज उपार्जित एवं देय	-	-
4. बैंक (क) मियादी ऋण - उपार्जित ब्याज एवं देयता (ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) - उपार्जित ब्याज एवं देयता	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-	-
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल		



अनुसूची-5 प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक (क) मियादी ऋण (ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ	-	-
6. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल		

अनुसूची-6 आस्थगित ऋण दायित्वताएं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) पूँजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधक रखकर रक्षित स्वीकृतियां	-	-
(ख) अन्य	-	-
कुल		



अनुसूची-7 मौजूदा दायित्वताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) मौजूदा दायित्वताएं				
1. सांविधिक दायित्वताएं				
(क) भविष्य निधि में अंशदान पिछले तुलनपत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया घंटाएं - वर्ष के दौरान आहरण	36,19,738.00		46,03,223.00	
	12,04,043.00		7,25,441.00	
		48,23,781.00	17,08,926.00	36,19,738.00
2. अन्य मौजूदा दायित्वताएं - अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सामान्य)	0.00		66,90,343.80	
- अप्रयुक्त अनुदान (गैर योजना-सामान्य)			7,80,498.00	
- अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए सामान्य-वेतन)	52,26,994.70		40,92,797.70	
- अप्रयुक्त अनुदान (जीआईए स्वच्छ भारत अभियान)	2,00,000.00			
- समग्र निधियाँ (सेवानिवृत्ति)	38,96,036.00		31,29,176.00	
- बयाना धनराशि	35,185.00		8,000.00	
- अन्य प्रभार शीर्ष	2,46,645.30		2,18,389.00	
- आयुष मंत्रालय को वापस किया जाने वाले जीआईए पर अर्जित ब्याज	7,80,907.00	1,03,85,768.00		1,49,19,204.00
कुल (क)		1,52,09,549.00		1,85,38,942.00
(ख) प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
2. ग्रेच्युटी				
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित अवकाश भुगतान				
5. व्यापार वारंटियां/दावे				
6. अन्य (उल्लेख करें)				
कुल (ख)				
कुल (क + ख)		1,52,09,549.00		1,85,38,942.00



अनुसूची-8 : अचल सम्पत्ति वित्तीय वर्ष -2017-18

विवरण	मूल्यांकन दर	सकल सम्पत्तियाँ			मूल्य ह्रास			शुद्ध कुल सम्पत्तियाँ
		वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त/साग/मूल्यांकन	वृद्धि (30.09.2017 तक)	वर्ष के अंत में साग/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के अंत तक कुल ह्रास	वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार	
(क) अचल परिसम्पत्ति								
1. संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	15%	1,02,153.06		1,02,103.06	47,294.67	8,221.26	46,567.16	54,808.42
2. फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10%	8,71,385.25		8,71,385.25	3,80,231.46	48,115.38	4,20,346.84	4,91,153.79
3. कार्यालय उपकरण	15%	9,08,104.46		9,08,104.46	6,07,202.68	45,135.27	2,55,766.51	3,00,961.78
4. कम्प्यूटर एवं उससे सम्बन्धित उपकरण	40%	3,53,769.00		3,53,769.00	3,43,849.13	3,968.37	3,47,817.50	9,929.92
5. पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	3,95,609.09		3,95,609.09	2,95,312.73	71,977.94	3,07,290.67	1,00,294.36
6. वायु-शीतलन उपकरण	15%	2,36,841.56		2,36,841.56	1,21,325.93	31,209.95	1,52,535.75	1,15,515.66
7. विद्युत उपकरण	15%	16,499.00		16,499.00	3,328.67	1,945.85	5,472.52	12,972.33
चालू वर्ष का योग		28,84,311.44	0.00	28,84,311.44	17,98,743.22	2,11,574.00	20,10,317.16	10,85,589.00
पिछला वर्ष		26,71,351.32	1,47,481.00	28,84,311.44	16,31,922.52	1,86,921.00	17,98,743.52	10,39,429.00
(ख) पूंजीगत चालू कार्य								
कुल		28,84,311.44	92,550.00	28,84,311.44	17,98,743.22	2,11,574.00	20,10,317.16	10,85,589.00

अतिरिक्त अचल परिसम्पत्ति का विवरण

एयर कूलिंग उपकरण

तरीख धनराशि(रु. में)

19.08.2017 10050.00

19.08.2017 82500.00



अनुसूची-9 निर्धारित/बन्दोबस्ती निधियों से किए गए निवेश

निवेश	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-		-	
3. शेयरों में	-		-	
4. ऋण पत्रों एवं बंध पत्रों में	-		-	
5. सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में	-		-	
6. अन्य (विनिर्दिष्ट की जानी है)	-		-	
कुल				

अनुसूची-10 निवेश -अन्य	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सावधि जमा				
-अंशदायी भविष्य निधि	44,23,049.00		33,53,279.00	
-समग्र निधि (सेवानिवृत्ति)	32,53,000.00	76,76,049.00	32,53,000.00	66,06,279.00
कुल		76,76,049.00		66,06,279.00

अनुसूची-11 मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. मौजूदा परिसम्पत्तियाँ,				
1. माल सूचियाँ				
-आयुर्वेदिक पुस्तकों का प्रकाशन	3,17,509.00	3,17,509.00	7,08,038.00	7,08,038.00
2. हस्तगत नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	-	-	-	-



3. बैंक शेष:-				
- जीआईए सामान्य	44,97,228.34		93,58,311.73	
- जीआईए वेतन	48,16,433.70		40,53,713.00	
- अंशदायी भविष्य निधि	4,00,732.00		2,66,459.00	
- समग्र निधि	6,43,036.00		264.70	
- जीआईए सामान्य (स्वच्छ भारत अभियान)	2,00,000.00		-	
- अन्य शुल्क-आरओटीपी	2,46,645.30	1,08,04,075.00	-	1,36,78,748.00
कुल (क)		1,11,21,584.00		1,43,86,786.00
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1. नकद/अन्य प्रकार से वसूल किए जाने योग्य अग्रिम एवं अन्य धनराशियाँ				
-श्री एम.आर.गिरी से वसूली जाने वाली धनराशि	44,390.00		44,390.00	
-मोटर साइकिल अग्रिम	49,945.00		47,388.00	
-दीक्षांत समारोह अग्रिम	-		1,77,400.00	
-वसूली जाने योग्य शिक्षावृत्ति	-		-	
-एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम	10,21,217.00		10,21,217.00	
-आकस्मिक अग्रिम	1,33,000.00	12,48,552.00	4,87,642.00	17,78,037.00
-त्योहार अग्रिम				
-पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार	450.00		2,325.00	
-घटाए-वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	-	450.00	1,875.00	450.00
कुल (ख)		12,49,002.00		17,78,487.00
कुल (क +ख)		1,23,70,586.00		1,61,65,273.00

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31-5-2018

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ह. /-
डॉ. मनोज नेसरी
निदेशक



लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

धनराशि (रु.)

अनुसूची-12 विक्री से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विक्री	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-13 अनुदान/आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अटल अनुदान एवं प्राप्त आर्थिक सहायता (सब्सिडी))		
1. केन्द्रीय सरकार-		
जीआईए सामान्य		
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	66,90,343.80	3,09,02,262.50
जोड़ें-पिछले वर्ष का अप्रयुक्त अनुदान का गैर योजना सामान्य में हस्तांतरण	7,80,498.00	
जोड़ें-चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन	5,26,647.00	18,24,158.30
जोड़ें-सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	7,98,00,000.00	5,50,00,000.00
कुल सहायता अनुदान	8,77,97,488.80	8,77,26,420.80
घटाएं - अनुदान पूंजीकृत	92,550.00	2,12,961.00
	8,77,04,938.80	8,75,13,459.80
घटाएं -अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	0.00	66,90,343.80
	8,77,04,938.80	8,08,23,116.00
जीआईए वेतन		
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे ली गई	40,92,797.70	33,123.00
जोड़ें-चालू वर्ष का आन्तरिक सृजन	-	1,07,088.70



सरकार से प्राप्त अनुदान	60,00,000.00		80,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	1,00,92,797.70		81,40,211.70	
घटाएं -अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	52,26,994.70	48,65,803.00	40,92,797.70	40,47,414.00
गैर योजना-सामान्य				
अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि जो आगे लाई गई	7,80,498.00		16,003.00	
सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	-		20,00,000.00	
कुल सहायता अनुदान	7,80,498.00		20,16,003.00	
घटाएं -अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	7,80,498.00		7,80,498.00	12,35,505.00
जीआईए सामान्य-स्वच्छ भारत अभियान				
सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	2,00,000.00			
कुल सहायता अनुदान	2,00,000.00			
घटाएं -अप्रयुक्त अनुदान जो तुलनपत्र में लाया गया।	2,00,000.00			
कुल		9,25,70,741.00		8,61,06,035.00

अनुसूची-14-शुल्क/अंशदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आवेदन शुल्क* (पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से प्राप्त)	37,191.00	37,191.00
कुल	37,191.00	-

*आवेदन शुल्क की कुल आय रुपये 533500/- में से 50% जोकि रुपये 496309/- का 7वीं सीपीसी बकाया की प्रभाव से वेतन शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है।



अनुसूची-15 निवेश से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(उद्दिष्ट/बन्दोबस्ती निधियों के निवेश से निधि में आय का अन्तरण)				
1. ब्याज	-	-	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बंध पत्रों (बाण्डों)/ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर				
2. लाभांश				
क) शेयरों पर				
ख) म्यूचुअल फण्ड सिक्युरिटीज पर				
3. किराया				
4. अन्य (उल्लेख करें)				
कुल				

अनुसूची-16-रॉयल्टी, प्रकाशन से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	7,66,745.00		3,68,229.00	
3. अन्य (उल्लेख करें)	-	7,66,745.00	-	3,68,229.00
कुल		7,66,745.00		3,68,229.00

अनुसूची-17-अर्जित ब्याज	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बजट खातों एवं सावधि जमाओं पर :				
(क) अनुसूचित बैंकों में-भारतीय स्टेट बैंक**	-		14,16,475.00	
(ख) सावधि जमाओं पर ब्याज	-		1,07,088.70	15,23,564.00
2. अन्य प्राप्तियों पर				
(क) शिक्षावृत्ति	38,175.00		12,767.00	
(ख) मोटर साइकिल अग्रिम	2,557.00	40,732.00	3,387.00	16,154.00
कुल		40,732.00		15,39,718.00

**जीआईए सामान्य पर अर्जित ब्याज रुपये 780907/- अनुसूची 7, वर्तमान देनदारियों के तहत आयुष मंत्रालय के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में माना जाता है।



अनुसूची-18-अन्य आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) पंजीयन शुल्क	2,10,000.00		-	
(ख) वेतन/शिक्षावृत्ति की दरगुली	2,53,528.00		8,091.00	
(ग) विविध आय	1,882.00	4,65,410.00	15,209.00	23,300.00
कुल		4,65,410.00		23,300.00

अनुसूची-19-तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(क) प्रकाशित आयुर्वेदिक पुस्तकों के भण्डार का समापन।	3,17,509.00		7,08,038.00	
(ख) घटाएं- प्रकाशित आयुर्वेदिक पुस्तकों के भण्डार का अधिशेष।	7,08,038.00	-3,90,529.00	10,76,267.00	-3,68,229.00
शुद्ध वृद्धि (कमी) (क-ख)		-3,90,529.00		-3,68,229.00

अनुसूची-20-स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
जीआईए सामान्य				
(क) मजदूरी	23,41,552.00		22,01,835.00	
(ख) वजीफा/शिक्षावृत्ति				
- शिष्यों को शिक्षावृत्ति	5,73,56,007.00		4,96,68,971.00	
(ग) व्यावसायिक सेवाएं				
- गुरुजनों को मानदेय	1,46,94,751.00		2,09,99,273.00	
- लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/व्यावसायिक शुल्क	2,96,977.00	7,46,89,287.00	2,35,928.00	7,31,06,007.00
जीआईए वेतन				



(क) वेतन				
- वेतन व्यय	39,40,991.00		40,47,414.00	
- कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ	9,24,812.00	48,65,803.00	-	40,47,414.00
कुल		7,95,55,090.00		7,71,53,421.00

अनुसूची-21: अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
जीआईए सामान्य		
(क) कार्यालय व्यय		
- बैंक प्रभार	2,850.39	2,404.52
- विविध व्यय	1,34,580.00	1,93,676.00
- मरम्मत और रखरखाव	75,233.00	87,135.00
- समाचारपत्र एवं पत्र-पत्रिकाएं	9,128.00	8,890.00
- विद्युत एवं ऊर्जा	2,04,770.00	1,95,310.00
- जल प्रभार	59,616.00	26,183.00
- डाक प्रभार	8,836.00	19,250.00
- दूरभाष एवं संचार प्रभार	46,429.00	78,502.00
- किराया, दर एवं कर	10,47,650.00	9,07,365.00
- चिकित्सा उपचार	-	8,895.00
- गुरुओं के लिए आकस्मिकता	-	1,87,221.00
(ख) प्रकाशन		
- स्वीकृत छूट	2,46,338.00	95,029.00
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4,28,799.00	5,00,169.00



(ग) घरेलू यात्रा				
- यात्रा एवं वाहन व्यय	8,75,243.00		15,24,443.00	
(घ) अन्य प्रशासनिक व्यय				
- शोध प्रबन्ध एवं परीक्षा पारिश्रमिक / बैठक-प्रभार / मानदेय / बैठक शुल्क	66,500.00		1,24,125.00	
- राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस	11,68,968.00		16,02,656.00	
- प्रत्यायन	5,59,013.00		3,49,841.00	
- द्वि-वार्षिक जनरल	5,49,516.00		3,66,886.00	
- ई-कोर्स			1,89,759.00	
- संगोष्ठी कार्यक्रम - दिल्ली			1,85,501.00	
- प्रशिक्षण कार्यक्रम- इंदौर			4,09,473.00	
- प्रशिक्षण कार्यक्रम- नाडियाड			1,99,595.00	
- प्रशिक्षण कार्यक्रम-उडुपी			3,89,426.00	
- प्रशिक्षण कार्यक्रम-हैदराबाद			4,72,057.00	
- प्रशिक्षण कार्यक्रम-रायपुर			4,96,643.00	
- प्रशिक्षण कार्यक्रम- चित्रकूट	5,72,547.00			
- प्रशिक्षण कार्यक्रम- चरक संहिता	3,00,040.00			
- प्रशिक्षण कार्यक्रम- हरिद्वार	1,66,690.00			
- प्रशिक्षण कार्यक्रम- नई दिल्ली	1,24,870.00			
- सूचना प्रौद्योगिकी	2,37,388.00			
- दीक्षांत व्यय / सम्मेलन व्यय	32,50,280.00			
(च) विज्ञापन एवं प्रचार				
- विज्ञापन व्यय	26,68,793.00	1,28,04,077.00	1,65,358.00	87,85,793.00
कुल		1,28,04,077.00		87,85,793.00



अनुसूची-22: अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्था/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्था/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-23: ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार को सम्मिलित करते हुए)	-	-
कुल	-	-

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

ह. /-

डॉ. मनोज नेसरी

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 31-5-2018



31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	धनराशि (रु)	
				चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारम्भिक शेष					
भारतीय स्टेट बैंक-सामान्य	85,82,392.73	3,29,75,181.25	क) स्थापना व्यय (अनुसूची-20)	7,86,30,278.00	7,71,53,421.00
भारतीय स्टेट बैंक-वेतन	40,53,713.00	84,787.00	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21)	1,28,04,077.39	87,85,792.52
भारतीय स्टेट बैंक गैर योजना-सामान्य	7,75,919.00	15,039.000	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि से किया गया भुगतान		
भारतीय स्टेट बैंक में संग्रह	264.70	8,80,734.00	III. किए गए निवेश एवं जमा		
हस्तगत नकद - योजना	-	7,099.00	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि में से		32,53,000.00
II. प्राप्त अनुदान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			IV. अचल परिसम्पत्ति / पूंजीगत प्रगति पर व्यय		
क) सामान्य	7,98,00,000.00	5,50,00,000.00	क) अचल सम्पत्ति का क्रय	92,550.00	2,12,961.00
ख) वेतन	60,00,000.00	80,00,000.00	ख) पूंजीगत प्रगति पर व्यय WIP		
ग) गैर योजना-सामान्य		20,00,000.00	V. अधिशेष धनराशि/ऋण की वापसी		
घ) स्वच्छ भारत अभियान	2,00,000.00				



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

III. निवेशों से आय क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि		27,55,000.00	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
IV. प्राप्त ब्याज			VII. अन्य भुगतान		
क) बचत खाते से प्राप्त ब्याज	7,80,907.00	14,16,475.00	क) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	9,82,316.00	3,94,349.00
ख) शिक्षावृत्ति वसूली से प्राप्त ब्याज	38,175.00	12,767.00	ख) दीक्षांत अग्रिम	8,97,476.00	1,77,400.00
ग) समग्र सावधि जमा खाते पर ब्याज		5,36,760.70	ग) सी.एम.ई. से प्राप्त की जाने वाली धनराशि	17,53,354.70	16,50,049.00
V. अन्य आय			घ) अग्रिम धन	5,000.00	6,000.00
क) वेतन/शिक्षावृत्ति की वसूली	2,53,528.00	8,091.00	ड.) ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण		9,44,389.00
ख) विविध आय	1,882.00	15,209.00	च) छात्रवृत्ति टीडीएस का भुगतान		1,24,688.00
घ) आवेदन शुल्क	37,191.00		छ) संग्रह निधि (सेवानिवृत्ति)	1,93,600.00	
ड) पुस्तकों की बिक्री	7,66,745.00	3,68,229.00	ज) अन्य प्रभार शीर्ष	2,18,389.00	
घ) पंजीकरण शुल्क	2,10,000.00		झ) सीपीएफ में हस्तान्तरण	27,440.00	
VI. उधार ली गई धनराशि			अन्तिम शेष		
			भारतीय स्टेट बैंक - योजना	44,97,228.34	85,82,392.73
			भारतीय स्टेट बैंक - समग्रनिधि	6,43,036.00	264.70
			भारतीय स्टेट बैंक - वेतन	48,16,433.70	40,53,713.00
			भारतीय स्टेट बैंक योजना - सामान्य		7,75,919.00



वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

क) बयाना राशि	32,185.00	6,000.00	भारतीय स्टेट बैंक सामान्य स्वच्छ भारत अभियान	2,00,000.00
ख) आकस्मिक एवं अन्य अग्रिम	13,36,958.00	1,39,707.00	भारतीय स्टेट बैंक - अन्य व्यय	2,46,645.30
ग) दीक्षांत अग्रिम	10,74,876.00			
घ) त्योहार अग्रिम		1,875.00		
ड.) समग्र निधि (सेवानिवृत्ति)	35,648.00	8,159.00		
च.) अन्य प्रभार शीर्ष - सीएमई	20,00,000.00	17,35,164.00		
छ) वसूली गयी छात्रवृत्ति		1,24,688.00		
ज) एआईसीटीई से प्राप्त सीपीएफ योगदान	27,440.00	23,374.00		
कुल	10,60,07,824.43	10,61,14,338.95	कुल	10,60,07,824.43

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

ह. /-

डॉ. मनोज नेसरी
निदेशकस्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31-5-2018



अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

धनराशि (रु)

दायित्व	धनराशि		परिसम्पत्तियाँ	धनराशि	
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान (कर्मचारियों का)			बैंक में शेष		
पिछले वर्ष के अनुसार	20,75,847.00		सावधि जमा में	44,23,049.00	
जोड़े-वर्ष के दौरान घटाएं-आहरण	4,37,674.00		बचत खाते में	4,00,732.00	
जोड़े-कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	1,79,981.00	26,93,502.00			
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान (नियोक्ता का)					
पिछले वर्ष के अनुसार	15,43,891.00				
जोड़े-वर्ष के दौरान घटाएं-निकासियाँ	4,57,356.00				
जोड़े-नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज	1,29,032.00	21,30,279.00			
कुल		48,23,781.00	कुल	48,23,781.00	



31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय के लेखे

व्यय	धनराशि		आय	धनराशि	
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	1,79,981.00		बैंक से ब्याज		26,605.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	1,29,032.00	3,09,013.00	सावधि जमा पर ब्याज		4,72,732.00
			अन्य विभागों से वसूली		27,440.00
नियोक्ता का योगदान		4,57,356.00	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यालय का अंशदान		2,39,592.00
कुल		7,66,369.00	कुल		7,66,369.00



31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे

प्राप्तियाँ		धनराशि भुगतान		धनराशि
प्रारम्भिक शेष				
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	20,75,847.00		कर्मचारियों द्वारा किया गया अंशदान कर्मचारियों को योगदान का भुगतान	
अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	15,43,891.00	36,19,738.00		
कर्मचारियों का अंशदान/वापसी	4,37,674.00		बैंक में शेष	
नियोक्ता का योगदान	4,57,356.00	8,95,030.00	अंशदायी भविष्यनिधि में अंशदान	26,93,502.00
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	1,79,981.00		अंशदायी भविष्य निधि में योगदान	21,30,279.00
नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	1,29,032.00	3,09,013.00		48,23,781.00
कुल		48,23,781.00	कुल	48,23,781.00

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

ह. /-

डॉ. मनोज नेसरी

निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 31-5-2018



अनुसूची -24 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जहाँ कहीं भी अन्यथा कहा गया और लेखा प्रणाली की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. माल-सूची मूल्यांकन :

मालसूची बहियों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया गया है।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ

I. अचल परिसम्पत्तियाँ, अधिग्रहण की लागत के अनुसार बताई गई हैं, जिनमें अधिग्रहण से संबंधित करों, भाड़े और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया गया है।

II. गैर-मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त अचल परिसम्पत्तियों को सामान्य निधि के लिए तत्सम्बन्धी ऋण द्वारा बताए गये मूल्य पर पूँजीकृत किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

अचल परिसम्पत्तियों की खरीद के संबंध में सरकारी अनुदान पूँजीकृत अनुदान के रूप में माने गए हैं।

5. राजस्व मान्यता

I. पुस्तकों की बिक्री में व्यापार संबंधी कटौती एवं छूट शामिल है।

II. सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) पर प्राप्त ब्याज को लेखा बहियों में समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि इनपर परिपक्वता अवधि में विचार किया जाता है।

6. मूल्यहास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की गणना आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की गई हैं।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :31.05.2018

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

ह. /-

डॉ. मनोज नेसरी

निदेशक



अनुसूची -25 : आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ

1. चालू दायित्व

योजना एवं गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत अप्रयुक्त अनुदान को चालू दायित्व के रूप में दिखाया गया है।

2. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम राशि का व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में वसूली संबंधी एक मूल्य होता है, जो कम से कम तुलनपत्र में दर्शायी गई कुल धनराशि के बराबर होता है।

3. जहाँ-कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के तत्सम्बन्धी आंकड़े पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गये हैं।

4. चालू वर्ष के आंकड़ों को रुपयों में पूर्णांकित किया गया है और अनुरूपता बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को 31-03-2018 तक लिया गया है।

5. अनुसूची 1 से 25 संलग्न कर दिये गए हैं और ये 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का एक अभिन्न अंग हैं।

6. वित्त वर्ष 2011-12 से अचल परिसम्पत्तियों की पहचान की विधि हासिल मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.) से बदल कर सकल ब्लॉक (कुल परिसम्पत्तियाँ) की गई है।



7. वर्ष 2007-2008 से मोटर साइकिल अग्रिम पर 10% की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। अग्रिम में 25,292/-रुपये की मूल धनराशि और उस पर प्रोद्भूत 24,653/-रुपये का ब्याज शामिल है।
8. चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष के तहत रु.12,49,002/-रुपये के ऋण एवं अग्रिम की अभी वसूली होनी है।
9. सीएजी आपत्ति के अनुसार लाइब्रेरी किताबों पर मूल्यद्वयस समायोजन का उचित पालन किया गया है।
10. कुल आंतरिक सृजन में से रुपये 1310078/- की राशि रुपये 526647/- को अतिरिक्त व्यय के कारण जीआईए सामान्य को स्थानांतरित कर दिया गया है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 31.05.2018

कृते-राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

ह./-

डॉ. मनोज नेसरी

निदेशक



(From Left to Right) 'Padmabhushan' Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Dr. Manoj Nesari, Advisor (Ayurveda), Ministry of AYUSH, Director, RAV (Additional Charge), Shri Anurag Shrivastava, Joint Secretary, Ministry of AYUSH, Shri Mohammed Hamid Ansari, Hon'ble Vice President, India Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for AYUSH at the Silver Jubilee Celebration Function of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth Held on 29th May, 2017 at Mavalankar Hall, Delhi.



(From Left to Right) Dr. Rajagopala Chidambaram, Principal Scientific Advisor, Government of India, Shri Shripad Yesso Naik, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for AYUSH 'Padmabhushan' Vaidya Devinder Triguna, President, Governing Body of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Dr. Manoj Nesari, Advisor (Ayurveda), Ministry of AYUSH. Dr. Chidambaram deliver the convocation address on the occasion of 21st Convocation and on Silver Jubilee Celebration Function of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth Held on 29th May, 2017 at Mavalankar Hall, Delhi.



Gathering on the inaugural function of Charaka Ayatanam on 12th January, 2018 at Chitrakoot, M.P.



Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary for AYUSH is Addressing the gathering on the inaugural function of Charaka Ayatanam on 12th January, 2018 at Chitrakoot, M.P.



CONTENT

S.No.	Subject	Page No.
	<i>Preface</i>	75
1.	<i>Introduction</i>	77
2.	<i>Objectives of the Vidyapeeth</i>	77
3.	<i>Committees</i>	78
	(i) <i>Governing Body</i>	78
	(ii) <i>Standing Finance Committee</i>	80
4.	<i>Functions of the Vidyapeeth</i>	81
	(i) <i>Guru Shishya Parampara</i>	82
	(ii) <i>Convocation</i>	88
	(iii) <i>Award of Fellowships</i>	88
	(iv) <i>Conferences/Seminars</i>	89
	(v) <i>Interactive Workshops</i>	89
	(vi) <i>Samhita based training programme</i>	90
	(vii) <i>Charak Ayatanam (6-days programme)</i>	91
	(viii) <i>Publications</i>	91
5.	<i>Technical Report (Activities conducted during the year 2017-18)</i>	92
	(i) <i>Meetings</i>	92
	(ii) <i>Courses of Guru Shishya Parampara</i>	95
	(iii) <i>Samhita based training programme</i>	105
	(iv) <i>Publications/Sale of Books</i>	106
	(v) <i>Other activities</i>	106
6.	<i>Budget & Expenditure</i>	109
7.	<i>Separate Audit Report</i>	110
8.	<i>Accounts</i>	
	(i) <i>Balance Sheet as on 31-3-2018</i>	114
	(ii) <i>Income & Expenditure Account as on 31-3-2018</i>	115
	(iii) <i>Schedules forming part of Balance Sheet as on 31-3-2018</i>	116
	(iv) <i>Receipt & payments Account as on 31-3-2018</i>	129
	(v) <i>Contributory Provident Fund- Receipts & Payments Accounts, Income & Expenditure Accounts and Balance Sheet as on 31-3-2018</i>	131
	(vi) <i>Significant Accounting Policies</i>	133
	(vii) <i>Contingent Liabilities and Notes on Accounts</i>	134



PREFACE

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), an autonomous organization under Ministry of AYUSH, Govt. of India was constituted in 1988 with an objective of revival of classical practical and textual knowledge of Ayurveda through ancient Gurukula method of learning. The targeted learners here are the fresh graduates and post graduates of Ayurveda desirous of making themselves more proficient in classical Ayurvedic practices and principles. MRV (Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) and CRAV (Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) are two such courses which have been started by RAV to fulfill the objectives of making Ayurvedic students more versed with classical practical and textual knowledge. So far about 936 and 71 students have completed their CRAV and MRV respectively. In year 2016-17, 145 students have completed their CRAV course and became eligible to get a certification of CRAV. In year 2017-18, about 125 students have been enrolled for CRAV course and are receiving the practical training in various disciplines of Ayurveda under the guidance of RAV empanelled scholars of Ayurveda throughout the country.

RAV had conducted an informal review of status of Ayurveda education in which, it was observed disconnect between Ayurveda theory taught in classroom and clinical practices in teaching hospital. RAV after perceiving the gap, has started a programme to train Ayurvedic teachers in classical diseases diagnostic methods. The focus here is on young faculties belonging to the clinical branches in order to make them proficient in such methods for its subsequent use in their clinical practice. In year 2017-18, two such programmes were conducted at New Delhi and Haridwar. So far, total 17 such diagnostic training programmes have been conducted in past 4 years at various places in the country. Approximately 430 teachers have received training through these programs so far.

During the year 2017-18 Vidyapeeth celebrated its Silver Jubilee Function on 29th May, 2017 with regular activity of two days National seminar. The occasion was graced by Hon'ble Vice President of India. This year, the seminar was conducted on 'Evidence based Ayurvedic approach to Diagnosis, Preventions and management of Diabetes and its Complications'. The seminar was attended by many distinguished authorities of Ayurveda.



The event was marked by key note addresses on various topics by eminent scholars of Ayurveda and research paper presentation by research scholars of Ayurveda. About 20 research papers have been presented in the seminar. A souvenir containing full text of all the 23 papers was also released at the occasion.

Samhita are the base of Ayurveda. They are most clinical classical text books of Ayurveda. However, it has been observed that their clinical relevance is not understood and taught the way it should have been. Consequently they are perceived as theoretical text books. Therefore, a six day residential training program named "*Charakayatan*" was conceived to make experience to Post Graduate students of Ayurveda about the style of living explained in Charak samhita, provide authentic clinical understanding of Charak Samhita and also to train them in Clinical practices as explained in Charak Samhita. One such training program was executed at Chitrakoot in year 2017-18. The Programme was highly appraised and 100 students were trained in this programme.

RAV also functions as a nodal agency to the Central Sector Scheme for Continuing Medical Education (CME). After review of CME proposals, total 39 CMEs materialized during 2017-18.

RAV is also evolving many new mechanisms to strengthen its various activities of imparting training in Ayurveda. RAV develops need based training programs to fill the gaps in present education programs. A regular monitoring of RAV activities is also being done through various feedback and midterm appraisal mechanisms. RAV is continuously striving to excel in its field. It is striving to emerge as a dedicated centre of excellence in the area of Ayurveda skill enhancement and capacity building. RAV is taking many new initiatives in this direction which are supposed to give fruits in future. The annual report for the year 2017-18 on the activities and achievements of the Vidyapeeth along with the audit report is being presented.

(Dr. Manoj Nesari)

Director



INTRODUCTION

Rashtriya Ayurved Vidyapeeth (RAV) is an autonomous organization under the Ministry of AYUSH, Govt of India. It is fully funded by the Government of India. It is registered with the Registrar, Societies, Delhi Administration under Societies Registration Act, 1860 vide 11th February 1988. It started functioning from the year 1991 at Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi -110 026.

The Vidyapeeth was established with the main aim to preserve and arrange transfer of Ayurvedic knowledge possessed by eminent Ayurvedic scholars and practitioners, to the younger generation through the Indian traditional Guru-Shishya method of education and knowledge transfer. The principal objective is to make new generation Ayurveda scholars proficient in Ayurvedic classical texts and clinical practices.

2. THE OBJECTIVES OF THE VIDYAPEETH

1. To promote the knowledge of Ayurveda.
2. To formulate schemes for continuing education and conducting examinations for the purpose in various disciplines of Ayurveda.
3. To institute due recognition to successful candidates.
4. To recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda.
5. To undertake academic work in Ayurveda of National & International importance.
6. To organize workshops and seminars in various branches of Ayurveda.
7. To maintain liaison with professional associations, Societies, Colleges and Universities for raising standards of Ayurvedic Education.
8. To secure and manage funds and endowments for the promotion of Ayurveda and implementation of continuing education in Ayurveda.
9. To conduct experiments of new methods of Ayurvedic education in order to arrive at satisfactory standards of education.
10. To institute professorships, other faculty position fellowships, research cadre positions and scholarships etc. for realizing the objectives of the Vidyapeeth, etc.



3. COMMITTEES

3.1. GOVERNING BODY

As per Memorandum of Association and orders of Government of India, the affairs of the Vidyapeeth are managed by its Governing Body consisting of 16 members including the President. The Governing Body (GB) was reconstituted by the Government of India as under for a period of five (5) years w.e.f. 20th December, 2013.

President of Governing Body

1. **'Padmabhusan' Vaidya Devinder Triguna,**
30 – Sukhdev Vihar,
New Delhi -110 025.

Government of India Nominees (Ex-officio)

2. **Additional Secretary & FA,**
Ministry of Health & F.W.,
Nirman Bhawan,
New Delhi- 110 011.
3. **Joint Secretary,**
Ministry of AYUSH,
AYUSH Bhawan,
'B' Block, GPO Complex, INA,
New Delhi-110 023.
4. **Adviser (Ayurveda),**
Ministry of AYUSH,
AYUSH Bhawan,
'B' Block, GPO Complex, INA,
New Delhi-110 023.
5. **Vice Chancellor,**
Gujarat Ayurved University,
Administrative Bhawan,
Jamnagar-361 008 (Gujarat).



Experts nominated by Government of India.

6. **Dr. Vijay Vishwanath Doiphode,**
6, Rajshree Apartments,
Nilgiri Lane, Baner Road,
Pune-411007 (Maharashtra).
7. **Prof. A. Sankar Babu,**
6-7-621, Sripuram Colony,
K T Road, Tirupati,
Chittoor District 517501, (Andhra Pradesh)
8. **Dr. (Smt.) H. R. Vijaya Seshadri,**
Plot No 1, Mathrusri, Ramnagar North,
Madipakkam,
Chennai – 600 091 (Tamilnadu)
9. **Prof. (Dr.) Ballava Kumar Jayasingh,**
Sarvoday Nagar, Near Raj Palacc,
Puri – 752002 (Orissa).
10. **Dr. Niranjan Singh Tyagi,**
Swarg Ashram Road,
Hapur – 245 101, (Uttar Pradesh)

Members nominated by All India Ayurveda Congress (AIAC)

11. **Vaidya Shiv Kumar Mishra,**
Former Adviser (Ay), GOI,
A-604, Tower Apartments, Swasthya Vihar,
Delhi-110 092.
12. **Vaidya (Smt.) Shashikala Bhagwan Ahire,**
ASM-43, Abhishek Bungalow,
Aswin Nagar, SIDCO,
Distt Nashik – 422009 (Maharashtra)



13. **Dr. Sanjeev Goyal,**
88/Sector – 28 A
Chandigarh – 160 002

One Member from Fellows of RAV

14. **Dr. Uma Shanker Nigam,**
Oberoi Exquisite – A wing 3405/6,
Behind Oberoi Mall, Goregaon East,
Mumbai-400 063 (Maharashtra).

One Member from alumni of RAV

15. **Dr. Sanjay R. Talmale,**
Assistant Professor, Dept of Dravyaguna,
Govt Ayurveda College,
Raghuji Nagar
Nagpur(Maharashtra).

Member Secretary

16. **Director, RAV**

3.2. STANDING FINANCE COMMITTEE

The Ministry of AYUSH reconstituted Standing Finance Committee (SFC) on 17th January, 2014 for 5 years, co-terminus with the tenure of the Governing Body. The composition of SFC is as follows:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Joint Secretary (AYUSH),
Ministry of AYUSH,
AYUSH Bhawan,
'B' Block, GPO Complex, INA,
New Delhi-110 023. | Chairman (Ex-officio) |
|---|-----------------------|



- | | |
|---|---------------------|
| 2. Officer from IFD,
Nominated by Finance Adviser,
Ministry of Health & F.W.,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110 011. | Member (Ex-officio) |
|---|---------------------|

- | | |
|---|---------------------|
| 3. Adviser (Ayurveda), Or
Joint Adviser (Ayurveda), Or
Deputy Adviser
Ministry of AYUSH,
AYUSH Bhawan, 'B' Block,
GPO Complex, INA,
New Delhi- 110 023 | Member (Ex-officio) |
|---|---------------------|

- | | |
|--|--------------------|
| 3. Prof. A. Sankar Babu,
(A member of GB from experts)
6-7-621, Sripuram Colony,
K.T. Road, Tirupati,
Chittoor District- 517501 (Andhra Pradesh). | Member (Nominated) |
|--|--------------------|

- | | |
|---|--------------------|
| 5. Vaidya Shiv Kumar Mishra,
(A member of GB from the AIAC)
A-604, Tower Apartments,
SwasthyaVihar,
Delhi-110 092. | Member (Nominated) |
|---|--------------------|

- | | |
|--|------------------|
| 6. Director,
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth | Member Secretary |
|--|------------------|

4. FUNCTIONS OF THE VIDYAPEETH

In furtherance of its objectives, the Vidyapeeth runs two types of courses under Guru Shishya Parampara namely CRAV and MRV. To run these courses, it empanels eminent scholars of Ayurveda and Vaidyas as Gurus and select Shishyas having formal qualifications in Ayurveda desired



for the courses. Besides this, Vidyapeeth also holds seminars/workshops, publishes literature and offers recognition/ felicitation to the eminent scholars of Ayurveda.

4.1. GURU SHISHYA PARAMPARA

Guru Shishya Parampara is the traditional residential method of education wherein the Shishya i.e. students lives in the vicinity of his Guru (teacher) and undertakes the training in a one to one manner by accompanying the guru in his regular routine clinical work. This system gradually disappeared consequent to modern methodology of education and training. RAV realized that in Ayurveda, this method of knowledge transfer had been very effective and hence the Vidyapeeth is making efforts to revive this system through its courses.

In institutional form of learning only relevant portions of the Samhitas (classical texts of Ayurveda) are being taught in the form of syllabus. On the contrary, the Guru Shishya Parampara programme of RAV provides the students to study whole text to get adequate knowledge of selected Samhita along with commentaries thereon and exposes them traditional skills of the Ayurvedic practices. The Shishyas get adequate time for interaction with the guru and also get clinical exposure in all aspects including patient examination, preparation of Ayurvedic medicines, traditional formulations etc. which necessarily required to be a good Ayurveda physician.

4.1.1. COURSES:

(A) Acharya Guru Shishya Parampara

(Two-year course of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) (MRAV)

This is an academic programme based upon literary research imparting the knowledge of Ayurvedic Samhitas and commentaries to participants. The main aim of this course is to prepare good teachers, research scholars and experts in Ayurveda Samhitas. The Shishya studies the Samhita, related to his/her specialization in PG course, under the guidance of the Guru for a period of 2 years. The Vidyapeeth started this course in 1992 with an objective of preparing the post graduate doctors as experts in classical texts of Ayurveda.



Candidates possessing adequate theoretical and practical knowledge and good understanding of Sanskrit are admitted to this course. At the end of the course they are required to submit a dissertation, which is regarded as a contribution of the Shishya. Though the Shishya studies the entire Samhita (text) under the expert guidance of Guru, he/she writes dissertation only on prescribed chapters/topics as suggested by Vidyapeeth in consultation with respective Guru in order to avoid duplication of the same work.

(B) Chikitsak Guru Shishya Parampara (One-year course of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth) (CRAV)

This course was started in February 1999. This course has the duration of one year for both Ayurvedic graduates and postgraduates. In this course, the candidates possessing Ayurvedacharya (BAMS) or equivalent degree/ PG in Ayurveda are selected for training under eminent practicing Vaidyas, who are empanelled as Chikitsak Gurus. During the course of study, the students learn the procedures like Nadi Pariksha, Aushadhi Nirman, Kshar Sutra, Panchakarma, treatment of diseases, Netra Chikitsa, Asthi Chikitsa pertaining to the Ayurvedic system. Every month, the trainees are required to prepare record of the patients they studied for its subsequent submission to RAV. The work done by the Shishyas like patient history sheets, monthly study reports etc. is examined in Vidyapeeth. Suggestions for improvement are communicated to the Shishyas through their respective Gurus.

4.1.2. GURUS:

(A) Guru for Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (MRAV) course:

Scholars fulfilling the following criteria are appointed as Gurus-

A person is eligible to be appointed as Guru for MRAV course, who is a retired Professor of Ayurveda possessing PG or PhD qualification with good published recognized research work and excellent academic experience Or a retired Director of Research Institution of Ayurveda Or any other person of eminence in Ayurveda having held the post of departmental head of the State, Central/Autonomous organization and other office of repute with vast knowledge and adequate experience in academic or any specialty of Ayurveda Or eminent scholar of Ayurveda.



The Guru should be above 60 years of age, proficient in Sanskrit and in classical texts of Ayurveda. Further, he/she must have very special knowledge and skills to justify selection. In the subject of Dravyaguna, Rasa-Shastra, Bhaishjya Kalpana and other clinical subjects, the Gurus should have basic facility for demonstration or should have access to such facility/Institution in the near vicinity.

(B) Guru for Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course
Eligibility criteria for Gurus (CRAV)

Following two eligibility criteria have been adopted for selection of CRAV Gurus:

1. Criteria for Individual Gurus.
2. Criteria for Institutional Gurus.

1. Criteria for Individual Gurus.

- i. Ayurveda practitioners having enrolment on any State Register of Indian Medicine under Section 17 of IMCC Act, 1970.
- ii. Age should be above 50 years.
- iii. Practitioners with at least 20 years of experience of pure Ayurvedic clinical practice mainly with classical medicines and having own Ayurvedic practice in any of the branches of Ayurveda.
- iv. Practitioner shall not be employed in any Ayurvedic college and attached hospital or any other hospital on regular basis other than honorary basis.
- v. Ayurveda practitioners aspiring to be a CRAV Guru should have minimum OPD of 25 patients per day.
- vi. In case of surgical practice, besides OPD of 15 patients per day, the Vaidya must be performing at least 5 surgical procedures daily.



- vii. In case of Ayurvedic Pharmacy, the Vaidya should have own pharmacy and should have an experience of preparation of Ayurvedic formulations for at least 20 years.
- viii. Willingness to train the young Ayurvedic doctors and provide them hands-on training and share own knowledge and skills without any reservation.
- ix. Gurus under this category can be given upto 2 students. If they have in patient facility of 10 beds and above, they can be given upto 4 students.

2. Criteria for Institutional Gurus (Institutional Training Centres).

- a. Centre for excellence declared by Ministry of AYUSH.
- b. Ayurvedic hospital with at least 50 beds and 200 out patients per day.
- c. Hospital having minimum 10 years of existence. However, the Guru who is designated as the in-charge of the training should have minimum experience of at least 20 years.
- d. The institution should be known for pure Ayurvedic treatment and there should be no integrated practice.
- e. Upto 8 students may be given to such institutions and the chief physician/doctor of the institution and/or other senior doctors will be in-charge of training of shishya.

(C) Empanelment:

The selection of Guru of any course is done by a Search Committee comprising of experts nominated by the Governing Body or its President. The Committee scrutinizes bio-data of scholars and Vaidyas and selects the Guru after proper discussion on his/her competence and recommends to Governing Body for empanelment. After the approval of the Governing Body the letter of empanelment is sent to guru whenever vacancy arises after receiving his/her willingness for teacher-ship and adherence to rules of the Vidyapeeth and ascertaining that facilities for training are available with him/her. Selection of



Guru is purely on temporary basis for the period of one term i.e. one year in CRAV course and two years in MRAV course. The Governing Body or a Committee chaired by President, Governing Body reviews the work of Guru and accords extension whenever necessary. The appointment stands completed when there is no student under the Guru or when all the students under him/her have completed their studies/duration of study.

4.1.3. SHISHYAS:

The advertisement for admission to CRAV course was given in newspapers on all India basis, inviting applications from eligible candidates.

As per the rules of RAV, candidates with Ayurvedacharya (BAMS) or an equivalent degree are selected in CRAV course. The maximum age limit for admission in this course is 30 years for U.G. degree holders and 32 years for P.G. degree holders. Relaxation up to 35 years is given to permanently employed doctors duly sponsored by Government. The qualifications of candidates must have been recognized by CCIM.

After the scrutiny of the applications received, the eligible candidates are called for a written test. Various aspects of syllabus of graduate course with special emphasis on clinical subjects are covered in the written test based on objective questions. In the selection of the Shishya, the merit of the student and the preference of subject / guru are taken into the consideration. Preference is given to Medical Officers in CRAV course.

The selected candidates are required to submit a Bond to the effect that in the event of the student leaving the course in the middle or if the student is expelled for violation of rules of the Vidyapeeth, the whole amount of stipend received from the Vidyapeeth shall be refunded with 12% interest thereon. On having completed the formalities, the Shishyas are placed under the tutelage of concerned Gurus located in different parts of the country for training.

4.1.4. Honorarium and Stipend:

There is a provision of payment of honorarium to Gurus and stipend to Shishyas during the training period every month. Each guru is given 2-4 students for training. The honorarium to Guru is Rs.15,820/-only plus DA at the rates applicable from time to time plus Rs.5,000/-upto two students. If any Guru has more than two students, he/she shall be paid an extra honorarium at



Rs.2,000/- only per student. Similarly, the stipend for CRAV students is Rs.15820/-only plus DA at the rates applicable from time to time. For MRAV students the stipend is Rs.15,820/-only plus DA at the applicable rates plus Rs.2,500/- only.

4.1.5. Examination:

For the course of MRAV, the final examination is conducted at the end of 2 years in three parts (a) evaluation of thesis prepared by the Shishya (b) written examination of 3 hours duration (c) viva - voce. The evaluation of thesis is done on approval/rejection basis. After the thesis is approved, the Shishya is examined by written examination and viva-voce. Having obtained satisfactory report in each of the three parts of examination the Shishya is declared to have completed his/her studies successfully for the award of Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth i.e., MRAV.

For the course of CRAV, the Shishya at the end of the study shall prepare a monograph of not more than 25 pages on summary of salient features of his/her learning viz. treatment of special diseases, medicines and special cases etc. and submit it to the Vidyapeeth one-month prior to the examination. They are also asked to submit a special case report on some interesting case they have seen during their training period. The examination comprises of two parts (a) written examination of three hours duration (b) viva-voce. The monograph, the case report and the monthly record sheets becomes the basis for written examination and viva-voce. An internal assessment of the student from his guru for the period of his training is also asked. The candidate, who secures satisfactory report in written and viva voce separately, is declared passed. Unsuccessful candidates are asked to report again to their guru for a period of three months. After this period, they are required to appear in the examination again. No stipend is paid for this additional stay with Guru.

Successful students are awarded the certificates in the Convocation.

4.1.6. Achievements:

So far, 71 students in MRAV and 936 students in CRAV have completed their courses. During the year 2017-18 total 145 students have been awarded as CRAV.



4.2. CONVOCATION

In order to fulfill the objectives of the Vidyapeeth viz. to institute due recognition to successful candidates and to recognize and encourage merit in various branches of Ayurveda, the Vidyapeeth holds Convocation every year for awarding certificates to passing out students and to felicitate eminent scholars and Vaidyas with Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (FRAV) for their significant contribution to the progress of Ayurveda.

SILVER JUBILEE FUNCTION OF RAV

Silver Jubilee Function of Vidyapeeth was conducted on 29th May 2017 along with Convocation. Hon'ble Vice President of India Shri Mohammad Hamid Ansari graced the occasion.

4.3. AWARD OF FELLOWSHIP

For achieving one of its objectives, the Vidyapeeth awards Fellowship to the eminent scholars of Ayurveda and practitioners of various traditional Ayurvedic practices in recognition of their scholarly expertise and contribution in the field of education, research, patient care and/or literature. This is an honorary recognition and a felicitation with a citation, a shawl and a kalash/memento presented to each awardee in the Convocation of RAV. Every year the Governing Body determines these fellowships on the basis of the bio-data of scholars. So far, 304 scholars have been awarded Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (FRAV).

During the year 2017-18 following scholars have been awarded as FRAV:-

1. Dr. Sandhya Patel, Nadiad, Gujarat
2. Dr. Sanjeev Goyal, Chandigarh, Punjab
3. Dr. Manoranjan Sahu, Varanasi (U.P.)
4. Dr. Shivenarain Narsinglal Gupta, Nadiad, Gujarat
5. Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad, Telangana
6. Prof. Lalta Prasad, Bareilly (U.P.)
7. Vd. Ravindra Vatsyayan, Ludhiana, Punjab
8. Dr. Subhash Ranade, Pune (M.S.)



9. Vd. Budh Prakash Gupta, Delhi

10. Dr. Shriram S. Savrikar, Mumbai (M.S.)

b) LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD

Two eminent Ayurvedic scholars were also felicitated with Life Time Achievement awards for their significant contribution to the progress of Ayurveda:

1. Vaidya S.K. Mishra, New Delhi
2. Vaidya Suresh Chaturvedi, Mumbai (M.S.)

4.4. NATIONAL CONFERENCE/SEMINAR

The Vidyapeeth conducts every year a Conference/Seminar on a topic that requires discussion and exchange of the views and dissemination of clinical experience on the diagnosis and treatment of the disease through Ayurveda. So far 23 Conferences/Seminars have been conducted on different topics such as Ksharasutra, Heart diseases, Ayurvedic Education, Training and Development, Nadi Vigyan, Fast Acting Ayurvedic Medicines and Techniques, Shothahara evm Jeevanu Nashak Ayurvedic Medicines, AIDS, Thyroid disorders, Rasayana, Kidney and urinary disorders, Hepato-biliary & Splenic disorders, Diabetes Mellitus, Mental Health, Vatavyadhi, Obesity, Reproductive Health of Women, Preventive cardiology, Skin diseases, Cancer (2), Autoimmune disorders, Basti Karma and Pramcha (Diabetics).

4.5 NATIONAL INTERACTIVE WORKSHOPS BETWEEN PG STUDENTS AND TEACHERS OF AYURVEDA

It is the common experience of students, junior teachers and young doctors, who in the beginning of their professional career come across certain points of topics/subjects in texts, which may require clarification/explanation, interpretation and scientific understanding. In some of the colleges, where the faculty is deficient of experienced and qualified staff, the students constantly make efforts to understand the concepts of Ayurveda and their practical utility.



It is frequently raised and argued by the students that some of the topics that cannot be explained in terms of present scientific understanding may be deleted from the syllabus/texts, as these are not relevant in the present context.

But before entering into such conclusion it is felt necessary that interactive session should take place between students and eminent scholars and experienced Vaidyas, where there could be an opportunity to discuss such points of doubt. It is observed that the routine seminars of specific subject/topic limit the discussion to that topic and many times fail to clarify the doubts of students and participants for lack of time. In the fields of learning involving study of ancient texts and applying them in day-to-day practice in order to promote health care of the people, there is every possibility of queries in the professionals regarding the applicability of ancient thoughts in the present day understanding.

Questions are invited from students on selected topics from the Samhitas, Nighantus, Chikitsa Granthas and other texts of Ayurveda, on which they require clarification. On receipt of the questions from the students, these are sent to those Ayurvedic scholars (resource persons) who have sound knowledge of that subject, and who can clarify their doubts. The questions and answers are compiled in the form of a book and distributed in the workshop for scientific discussion. The questioners and experts are invited to participate in the workshop.

So far, RAV has conducted 24 such Interactive Workshops and released books of Questions and Answers discussed in the workshop.

4.6. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS

In a survey of Ayurveda Institutes conducted by RAV and AYUSH to assess the standards of Ayurveda Education and Educational Institute in the year 2012, it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Parikshan etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical methodology



described in Ayurveda is disappearing. Many teachers as well as PG students showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

In view of above, a novel training programme has been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field.

Ayurveda is indigenous medicine of our country and it is practiced in India for several centuries. There are number of treatment procedures, therapies and medicines in public domain. Many practitioners, either gained knowledge traditionally from their forefathers or out of their own experience, are practicing Ayurveda and benefitting the local populations. The knowledge and skills possessed by them in patient care should be transmitted to present young doctors. Further, the knowledge of Ayurveda is required to be interpreted as per the concepts of Ayurveda in diagnosis and treatment. In year 2017-18 two such programs were conducted at New Delhi and Haridwar.

4.7 CHARAKA AYATANAM: (6 Days complete residential training programme for Undergraduate and Post Graduate Scholars of Ayurveda)

Samhita are the base of Ayurveda. They are most clinical classical text books of Ayurveda. However, it has been observed that their clinical relevance is not understood and taught the way it should have been. Therefore it is important to understand Samhita on bedside and learn to design the treatment as per classical texts.

Charak Samhita being the basic text of Kayachikitsa, the Charaka Ayatanam program has been designed to provide authentic clinical understanding of Charak Samhita and its relevance in clinical practice.

4.8. PUBLICATIONS

The Vidyapeeth has been publishing certain books of Ayurveda, which cater to general public in creating awareness and also useful to students and professionals of Ayurveda and allied sciences. The Vidyapeeth also publishes the theses of its students after necessary review and recommendation by the Expert Committee and approval by the Governing Body. RAV has so far



published 23 souvenirs and 15 books including, four based on these submitted by its students of two-year course. Twenty four question-answer books pertaining to interactive workshops were also published by the Vidyapeeth.

5. TECHNICAL REPORT (Activities conducted during 2017-18)

5.1 MEETINGS HELD DURING THE YEAR:

During the year under report one meeting of Governing Body and one meeting of Standing Finance committee were conducted. Details are as under:

(a) Meetings of Governing Body:

During the year one meeting of Governing Body (43rd GB meeting) was convened on 11th August 2017 as per details given below:

43rd Governing Body meeting held on 11th August 2017

The following members were present in the meeting and Vd. Rajesh Kotecha, Special Secretary (AYUSH) was special invitee and was present in the initial part of the meeting to share his views about RAV and his expectations from RAV.

Sl. No.	Name of Members
1.	'Padambhusan' Vd. Devinder Triguna, President
2.	Additional Secretary (FA), or his representative, Ministry of Health & F.W. (Shri G.R. Raigar, DS (IF))
3.	Vd. Shiv Kumar Mishra, Delhi
4.	Dr. Niranjana Singh Tyagi, Hapur, U.P.
5.	Dr. (Smt.) H.R. Vijaya Seshadri, Chennai
6.	Dr. Ballava Kumar Jayasingh, Puri
7.	Dr. Sanjeev Goyal, Chandigarh
8.	Dr. Sanjay R. Talmale, Mumbai
9.	Shri R.C. Aggarwal, DDG, Ministry of AYUSH
10.	Ms. Sheila Tirkey, Under Secretary, Ministry of AYUSH



11. Dr. Manoj Nesari, Adviser (Ayurveda), Director (IC), RAV/Member Secretary

Major decisions taken in 43rd meeting of GB:

A 43rd Meeting of G.B. was held on 11th August 2017 wherein following important recommendations were approved.

1. Approved the Annual Accounts for the year 2016-17.
2. Approved the Budget Estimate for the year 2017-18.
3. Approved the Annual Report for the year 2015-16.
4. Approved to conduct Interactive Training Programme between P.G. scholars and young teachers.
5. Approved to hold 02 Two-day Training Programmes for Ayurvedic teachers at three different places within the budgetary limits of Rs. 5.00 lakhs only per programme.
6. Approved the allocation of Rs.41,75,000/- for the recently concluded 23rd National Seminar, 21st Convocation and Silver Jubilee Function held on 29th -30th May, 2017.
7. Approved to release of remaining amount of Rs.3,00,040/- to Dr. B.L. Gaur
8. Approved to discontinuation of payment of contingent expenses to the Gurus w.e.f. 2016-17 batch.
9. Approved to raise the wages of outsourced staff as per NCT, Govt. of India.
10. G.B. decided to constitute a committee of various experts to suggest further course of action regarding MRAV course.

(b) Standing Finance Committee (SFC) meeting:

During the year under report one meeting of Standing Finance Committee (SFC) was conducted with ex-officio members of the SFC on 15.06.2017.



28th Standing Finance Committee (SFC) held on 15.06.2017

The following members were present in the meeting:-

1. Shri Anurag Srivastava, JS, Ministry of AYUSH- Ex-officio Member
2. Dr. Manoj Nesari, Adviser (Ayu.) -Ex-officio Member
3. Shri G.R. Raigar, DS (IF), (Representative of Additional Secretary (FA), M/o Health & F.W., New Delhi - Ex-Officio Member
4. Vaidya Shiv Kumar Mishra, Delhi - Member
5. Shri R.C. Aggarwal, DDG, Ministry of AYUSH – Invitee
6. Dr. A. Raghu, Dy. Adviser (Ayurveda), Ministry of AYUSH – Invitee
7. Dr. M.A. Quasmi, Dy. Adviser (Unani), Ministry of AYUSH – Invitee
8. Consultant, NI, Ministry of AYUSH– Invitee

Major decisions taken in 28th meeting of SFC:

A 28th meeting of SFC was held on 15th June, 2017 wherein following important recommendations were approved.

1. Approved to release of remaining amount Rs. 3,00,040/- to Dr. B.L. Gaur.
2. Approved to waiving off advance of Rs. 8,000/- given to Late Dr. K.R. Sharma.
3. Approved to revising the cost of the publication of RAV in Arogya Melas at the discount of 35% across all books.
4. Approved the expenditure of Rs. 16,02,656/- incurred during the recently concluded National Ayurveda Day held on 28th October, 2016.
5. Approved to purchase of Cloud Server for hosting RAV website.
6. Approved the budget for the year 2017-18.



7. Approved to hold 03 Two-day Training Programmes for Ayurvedic teachers at three different places within the budgetary limits of Rs. 5.00 lakhs only per programme.
8. Approved to conduct Interactive Training Programme between P.G. scholars and young teachers.
9. Approved to hold 02 Samhita Training Programmes for Undergraduates/Post-graduate at two different places within the budgetary limits of Rs. 7.00 lakhs only per programme.
10. Approved for printing of 'Ayurvedic Standard Treatment Guidelines' developed by Ministry.
11. Approved the Annual Accounts for the year 2016-17.
12. Approved the allocation of Rs. 41,75,000/- for the recently concluded 23rd National Seminar, 21st Convocation and Silver Jubilee Function held on 29th-30th May, 2017.

5.2 GURU SHISHYA PARAMPARA

(A) Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)

Selection of the CRAV Gurus:

In order to begin the new session of Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV) course for the year 2017-18 an advertisement was brought out on 18th November, 2017 in all leading newspapers on all India basis through DAVP for appointment of Gurus for the course. About 32 fresh applications were received from prospective Vaidyas/Scholars.

A Sub-Committee of Governing Body consisting of following members was formed with the approval of President of G.B., RAV for scrutinizing the received applications:

1. **Dr. Manoj Nesari,**
- **Chairman**
Adviser (Ayurveda),
Ministry of AYUSH,
B' Block, GPO Complex, INA
New Delhi- 110 023.



2. **Vaidya Shiv Kumar Mishra,**
- **Member**

Former Adviser (Ay.), G.O.I.,
A-604, Tower Apartments,
SwasthyaVihar,
Delhi-110 092.

3. **Prof. A.Sankar Babu,**
***Member**

6-7-621, Sripuram Colony,
K.T.Road,
Tirupati, Chittoor District
Andhra Pradesh - 517 501.

4. **Dr. Sanjeev Goyal,**
Member

88/Sector - 28 A
Chandigarh - 160 002

The above committee scrutinized the applications and shortlisted 10 names out of 32 applicants, as per eligibility criteria. Additionally, a few names as suggested by the GB members were also considered. For finalizing the names of Gurus the 2nd & 3rd Sub-committee meeting was held on 10th March, 2018 and 14th May, 2018 respectively in which, total 52 Gurus comprising of 47 Individual Gurus and 5 Institutional Gurus have been selected. The details of the empanelled gurus for CRAV for this year areas under:

Sl.No.	Name and Place of Gurus	Subject
1.	Dr. L. Sucharitha, Bangalore (Karnataka)	Stree Roga
2.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamanagalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa
3.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum (Kerala)	Asthi Chikitsa
4.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy



5.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (M.S.)	Pharmacy
6.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (M.S.)	Pharmacy
7.	Dr. Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)	Pharmacy
8.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa
9.	Dr. Mukul Patel, Surat (Gujarat)	Ksharsutra
10.	Vd. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra
11.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra
12.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P.)	Ksharsutra
13.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	Ksharsutra
14.	Dr. Satpal Gupta, Ambala Chhavni (Haryana)	Ksharsutra
15.	Dr. Dinesh Chander, Kurukshetra (Haryana)	Ksharsutra
16.	Dr. Lalita Prasad, Bareilly (U.P.)	Ksharsutra
17.	Dr. Harshvardhan Jobanputra, Nadiad (Gujarat)	Ksharsutra
18.	Vd. Nimkar Anant Sadanand, Satara (M.S.)	Kayachikitsa
19.	Vd. Suvinay Vinayak Damale, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa



20.	Dr. Mani Bhushan Kumar, Patna (Bihar)	Kayachikitsa
21.	Vd. Gopilal Titoni, Jabalpur (M.P.)	Kayachikitsa
22.	Vd. Binod Joshi, Haldwani (Uttarakhand)	Kayachikitsa
23.	Vd. Anilkumar Dubey, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa
24.	Vd. Namadhar Sharma, Delhi	Kayachikitsa
25.	Vd. Shree Shree Maa Anantanand Tirth, Ahmedabad (Gujarat)	Kayachikitsa
26.	Dr. Ramesh R. Varier, Madurai (Tamilnadu)	Kayachikitsa
27.	Vd. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	Kayachikitsa
28.	Dr. V. Sreekumar, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
29.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada (Karnataka)	Kayachikitsa
30.	Vd. Dineshchandra D. Goradia, Mumbai (M.S.)	Kayachikitsa
31.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa
32.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari (Tamilnadu)	Kayachikitsa
33.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa
34.	Vd. Tarachand Sharma, Delhi	Kayachikitsa



35.	Vd. Narendra Gujarathi Narayandas, Jalgaon (M.S.)	Kayachikitsa
36.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa
37.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa
38.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	Kayachikitsa
39.	Vd. Jagjit Singh, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa
40.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa
41.	Dr. Jagadeeshwari Prasad Mishra "Basant", Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa
42.	Dr. Santosh Bhagwanrao Nevpurkar, Aurangabad (M.S.)	Kayachikitsa
43.	Vaidya Jayant Deopujari, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa
44.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (M.S.)	Kayachikitsa
45.	Dr. Damaniya Panchabhai, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa
46.	Vd. Anil Bhardwaj, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa
47.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (U.P.)	Kayachikitsa
48.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust, Pune (M.S.) (Vd. S.P. Sardeshmukh)	Kayachikitsa (Institutional Guru)



49.	Aryavaidya Chikitsalayam and Research Institute, Coimbatore (Tamilnadu) (Dr. P.R. Krishnakumar)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
50.	Arya Vaidya Sala, Kottakkal, Kerala (Dr. P. Madhavankutty Varier)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
51.	Smt. Maniben Amrutlal Hargovan Government Ayurveda Hospital, Ahmedabad (Gujarat) (Dr. Kandarp Desai)	Kayachikitsa (Institutional Guru)
52.	Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital & Research Centre, Ernakulam (Kerala) (Dr. Narayanan Namboothiri)	Netra Chikitsa (Institutional Guru)

(B) Admission and Training of the CRAV Students:

In order to admit the students (Shishyas) during the year an advertisement was brought out in all the leading newspapers all over the country on 30th June, 2018. Besides this, the copies of advertisement were sent to all the Graduate and Post Graduate Ayurveda Colleges/Universities to display it on their Notice-Board. The copies of advertisement were also sent to all Gurus and members of the Governing Body along with prospectus and other rules.

In response of the Advertisement about 1265 applications were received and scrutinized. Admit Cards were issued to all 1247 eligible candidates for appearing in written test which was conducted at pre-approved examination centres at Delhi, Patna, Pune and Thrissur on 22nd July, 2018. Total 1169 applicants appeared for the tests at four centres. Question paper for written test containing 100 objective-type questions was prepared in Hindi and English. Total 150 candidates were selected on the basis of their merit.

The following 125 students are receiving training under 50 Gurus. The details are as under:-



Sl. No.	Name and Place of Gurus	Subject	No. of Students
1.	Dr. L. Sucharitha, Bangalore (Karnataka)	Stree Roga	01
2.	Dr. Vijayan Nangelil, Kothamanagalam (Kerala)	Asthi & Marma Chikitsa	03
3.	Dr. C. Suresh Kumar, Trivandrum (Kerala)	Asthi Chikitsa	04
4.	Dr. D. Ramanathan, Thrissur (Kerala)	Pharmacy	03
5.	Dr. Vijay Vishwanath Doiphode, Pune (M.S.)	Pharmacy	01
6.	Vd. Vivek Dattatraya Sane, Pune (M.S.)	Pharmacy	01
7.	Dr. Surya Prakash Sharma, Kolkata (West Bengal)	Pharmacy	01
8.	Dr. I. Bhavadasan Namboothiri, Kannur (Kerala)	Netra Chikitsa	02
9.	Dr. Mukul Patel, Surat (Gujarat)	Ksharsutra	01
10.	Vd. Devendra Kumar Shah, Ahmedabad (Gujarat)	Ksharsutra	02
11.	Dr. Raman Singh, Varanasi (U.P.)	Ksharsutra	02
12.	Dr. Hem Raj Sharma, Una (H.P.)	Ksharsutra	01
13.	Dr. K.V.S. Rao, Bhilai (C.G.)	Ksharsutra	03
14.	Dr. Satpal Gupta, Ambala Chhavni (Haryana)	Ksharsutra	02



15.	Dr. Dinesh Chander, Kurukshetra (Haryana)	Ksharsutra	01
16.	Dr. Lalta Prasad, Bareilly (U.P.)	Ksharsutra	02
17.	Dr. Harshvardhan Jobanputra, Nadiad (Gujarat)	Ksharsutra	01
18.	Vd. Nimkar Anant Sadanand, Satara (M.S.)	Kayachikitsa	02
19.	Vd. Suvinay Vinayak Damale, Sindhudurg (M.S.)	Kayachikitsa	00
20.	Dr. Mani Bhushan Kumar, Patna (Bihar)	Kayachikitsa	00
21.	Vd. Gopilal Titoni, Jabalpur (M.P.)	Kayachikitsa	02
22.	Vd. Binod Joshi, Haldwani (Uttarakhand)	Kayachikitsa	02
23.	Vd. Anilkumar Dubey, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa	02
24.	Vd. Namadhar Sharma, Delhi	Kayachikitsa	02
25.	Vd. Shree Shree Maa Anantanand Tirth, Ahmedabad (Gujarat)	Kayachikitsa	02
26.	Dr. Ramesh R. Varier, Madurai (Tamilnadu)	Kayachikitsa	04
27.	Vd. Satya Prakash Gupta, Moradabad (U.P.)	Kayachikitsa	02
28.	Dr. V. Sreekumar, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	02



29.	Dr. Ravishankar Pervaje, Dakshinakannada (Karnataka)	Kayachikitsa	04
30.	Vd. Dineshchandra D. Goradia, Mumbai (M.S.)	Kayachikitsa	02
31.	Dr. Ramdas M. Avhad, Ahmednagar (M.S.)	Kayachikitsa	04
32.	Dr. K. Chidambaram, Kanyakumari (Tamilnadu)	Kayachikitsa	04
33.	Vd. Ashwani Kumar Sharma, New Delhi	Kayachikitsa	02
34.	Vd. Tarachand Sharma, Delhi	Kayachikitsa	02
35.	Vd. Narendra Gujarathi Narayandas, Jalgaon (M.S.)	Kayachikitsa	02
36.	Dr. Ganjam Krishna Prasad, Secunderabad (Telangana)	Kayachikitsa	03
37.	Dr. Dhanraj Vishweshwar Gahukar, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa	04
38.	Dr. Madhusudan Deshpande, Bhopal (M.P.)	Kayachikitsa	02
39.	Vd. Jagjit Singh, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa	01
40.	Dr. C.M. Sreekrishnan, Thrissur (Kerala)	Kayachikitsa	02
41.	Dr. Jagadeeshwari Prasad Mishra "Basant", Sitamarhi (Bihar)	Kayachikitsa	01
42.	Dr. Santosh Bhagwanrao Nevpurkar, Aurangabad (M.S.)	Kayachikitsa	02



43.	Vaidya Jayant Deopujari, Nagpur (M.S.)	Kayachikitsa	03
44.	Dr. Vinay Vasudeo Welankar, Thane (M.S.)	Kayachikitsa	02
45.	Dr. Damaniya Panchabhai, Junagadh (Gujarat)	Kayachikitsa	02
46.	Vd. Anil Bhardwaj, Chandigarh (Punjab)	Kayachikitsa	02
47.	Vd. Achyut Kumar Tripathi, Noida (U.P.)	Kayachikitsa	01
48.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust, Pune (M.S.) (Vd. S.P. Sardeshmukh)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	06
49.	Aryavaidya Chikitsalayam and Research Institute, Coimbatore (Tamilnadu) (Dr. P.R. Krishnakumar)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	06
50.	Arya Vaidya Sala, Kottakkal, Kerala (Dr. P. Madhavankutty Varier)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	07
51.	Smt. Maniben Amrutlal Hargovandas Government Ayurveda Hospital, Ahmedabad (Gujarat) (Dr. Kandarp Desai)	Kayachikitsa (Institutional Guru)	05
52.	Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital & Research Centre, Ernakulam (Kerala) (Dr. Narayanan Namboothiri)	Netra Chikitsa (Institutional Guru)	05
Total Number of Students			125



5.3. NATIONAL TRAINING PROGRAMME FOR AYURVEDA TEACHERS ON SAMHITA BASED CLINICAL DIAGNOSIS:

A novel training programme has been initiated by RAV during the year 2013-14 for providing practical demonstration of Samhita (text)-based clinical methods of examination by eminent scholars in the field, because, it was observed that the information such as Dashavidha Pariksha, Srotas Pariksha etc. was lacking in Clinical case records at many institutes. The art of clinical diagnosis based on Samhitas and classical methodology described in Ayurveda is disappearing. Many teachers showed their interest in learning this art of Ayurvedic Diagnostic methods.

Hence, in order to promote the practice of art of clinical diagnosis based on texts of Ayurveda and classical methodology described in Ayurveda, RAV had conducted following two training programmes for teachers of medicine, pathology and Panchakarma of Ayurveda:-

Sl.No.	Places	Duration
1.	New Delhi	5 th - 6 th January, 2018
2.	Haridwar	9 th - 10 th February, 2018

Eminent scholars have delivered lectures and conducted practical sessions. So far 430 teachers had been benefitted through these training programmes.

5.4 CHARAKA AYATANAM: (6 Days complete residential training programme for Undergraduate and Post Graduate Scholars of Ayurveda)

Samhita are the base of Ayurveda. They are most clinical classical text books of Ayurveda. However, it has been observed that their clinical relevance is not understood and taught the way it should have been. Consequently they are perceived as theoretical text books. The clinical methods are taught according to understanding to allopathic system of medicine. In the process the Ayurvedic physicians have forgotten that Ayurvedic method of clinical diagnosis is much superior to present method of diagnosis, which is mainly laboratory dependent. The tendency to diagnose diseases as per allopathic system and treatment with ayurvedic



formulation may be called as herbal treatment of various disease conditions which is not Ayurveda in real sense. Often, this may lead to wrong diagnosis resulting in wrong treatment of the patient. Therefore it is important to understand Samhita on bedside and learn to design the treatment as per classical texts.

Charak Samhita being the basic text of Kayachikitsa, the present program has been designed to provide authentic clinical understanding of Charak Samhita and its relevance in clinical practice. The program will also give an opportunity to the students to live and experience the lifestyle as described in Charak Samhita and also to experience its positive impact on mind and body. The stalwart Gurus of Ayurveda will provide hands on training to participants, based on Charak Samhita. The method of understanding of Charak Samhita and its interpretation in reference to modern lifestyle and habits shall be described to the students. The program will also provide an opportunity to experience the identification of various medicinal plants explained in Charak Samhita, experience few recipes described by Charak Samhita which have the potential as Nutraceuticals, the Ayurvedic dincharya, preparation of simple formulations mentioned in Charak Samhita, ekal dravya chikitsa etc. in addition to Charak based clinical diagnosis.

A 6-day Samhita training programmes for Undergraduate/Post-graduate students during the financial year 2017-18 "Charakaayatan" was successfully conducted at DRI, Chitrakoot, Madhya Pradesh for 100 trainees.

5.5. PUBLICATIONS/ SALE OF BOOKS

During the year the Vidyapeeth sold its publications worth Rs.7,66,745/- (Seven lakh sixty six thousand seven hundred forty five only).

5.6. OTHER ACTIVITIES

(A) Participation in Arogya Exhibitions and Ayurved Parva

The Vidyapeeth has participated in Three Arogya exhibitions organized by Ministry of AYUSH, Government of India and



participated in Four Ayurveda Parv organized by All India Ayurveda Congress, New Delhi and participated in 2nd National Ayurveda Day. Details are as under:-

- 1st Arogya held at Indore from 7th to 10th April 2017
- 2nd Arogya held at Chennai from 5th to 8th May 2017
- 3rd Arogya held at New Delhi from 4th to 7th December 2017
- 1st Ayurveda Parv held at New Delhi from 8th to 10th September 2017
- 2nd Ayurveda Parv held at Patiala from 25th to 27th November 2017
- 3rd Ayurveda Parv held at Ahmedabad from 22nd to 25th December 2017
- 4th Ayurveda Parv held at Patna from 16th to 18th March 2018
- 2nd National Ayurveda Day 16-17 October, 2017

(B) Monitoring and implementation of Central Sector scheme of Continuing Medical Education (CME) :

The Vidyapeeth as Nodal Office has been implementing the Central Sector Scheme of CME of Ministry of AYUSH. These programmes were conducted throughout the country in selected institutions with objectives of upgrading the knowledge of teachers, medical officers and other personnel of AYUSH systems and providing them the information on advancements and research outcome in the fields of diagnosis, management, drugs etc. in concerned subjects. Orientation Training Programmes in Yoga and other AYUSH subjects were also arranged for AYUSH and Allopathy doctors besides Training of Trainers and other capacity building programs.

During 2017-18, total GIA of Rs.280.00 lakhs have been released for conducting 39 CME programmes consisting of 27 CME for Teachers, 09 CME for Doctors, 02 CME for Paramedics and 01 Web based Education Programme.

Also during this current 10 long pending Utilization Certificates (UC) against 10 institutions/colleges amounting to Rs.84.00 lakhs have been liquidated.



Sl. No	STATE	NUMBER OF INSTITUTIONS Govt. + Private	AYURVEDA		HOMOEOPATHY		UNANI		SIDDHA		YOGA & NATUROPATHY		AMCHI (Sowa Rigpa)	MISCELLANEOUS	Amount released (Rs in lakhs)
			CME for teachers	CME for doctors	CME for teachers	CME for doctors	CME for teachers	CME for doctors	CME for teachers	CME for doctors	CME for teachers	CME for doctors			
1.	Chhattisgarh	1+0	1(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 CME for AYUSH Paramedics	10.50
2.	Delhi	2+0	1(6 day)	-	1(2 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50
3.	Gujarat	1+1	2 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Web based Educational Programme	64.00
4.	Kerala	0+1	1(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00
5.	Karnataka	1+2	1(6 day)	1(6 day)	-	-	2(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	27.00
6.	Madhya Pradesh	1+0	-	-	-	-	1(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	6.00
7.	Maharashtra	0+5	4(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	1(6 day)	-	-	-	31.00
8.	Meghalaya	1+0	-	1(6 day)	-	1(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
9.	Tamil Nadu	2+3	-	-	1(6 day)	-	-	-	3(6 day)	2(6 day)	-	-	-	1 CME for Paramedics	42.50
10.	Uttar Pradesh	3+0	2(6 day)	-	-	-	3 (6 day)	-	-	-	-	-	-	-	31.00
11.	Himachal Pradesh	1+1	1(6 day)	1(6 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	1(6 day)	-	18.00
12.	Rajasthan	1+1	2(6 day)	-	1(6 day)	1(2 day)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.24
	Total	14+14 = 28	15	03	3	2	6	2	3	2	1	1	1	3	3.26
														Reimbursement to 01 old institute	20.00
														Other charges	300.00
														Total	300.00

TOTAL PROGRAMMES = 39 BENEFICIARIES = Awaiteed, BE- Rs.100.00 lakhs RE-Rs.300.00 lakhs, AE-Rs.300.00 lakhs



6. Budget and Expenditure

During the year 2017-18 Ministry of AYUSH, Govt. of India provided a sum of Rs. 7,98,00,000/- (Rupees Seven Crore ninety eight lakhs only) as grant-in-aid under **GIA General** besides permitting utilization of unspent balance of Rs. 74,70,841/- (Rs. 66,90,343/- Plan General & Rs. 7,80,498/- Non plan General) and Rs. 5,26,647/- was also available as internal generation of 2017-18 making a total of **Rs. 8,77,97,488/-** (Rupees Eight Crore seventy seven lakhs ninety seven thousand four hundred eighty eight only) available for GIA General activities of the Vidyapeeth. The Ministry of AYUSH also provided a sum of Rs. 60,00,000/- (Rupees Sixty lakhs only) as grant-in-aid under **GIA Salaries** and permitted to utilize Rs. 40,92,797/- (Rupees Forty lakhs ninety two thousand seven hundred ninety seven only) left as unspent balance of previous year making a total of **Rs. 1,00,92,797/-** (Rupees One crore ninety two thousand seven hundred ninety seven only) available under GIA Salaries and a sum of Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakhs only) was received as grant-in-aid **General under Swachh Bharat Abhiyan.**

Out of Rs. 8,77,97,488/- an amount of Rs. 8,77,97,488/- (Rupees Eight Crore seventy seven lakhs ninety seven thousand four hundred eighty eight only) had been spent leaving a balance of Rs. NIL under **GIA General**. As far as GIA Salary is concerned, out of Rs. 1,00,92,797/-, an amount of Rs. 48,65,803/- (Rupees Forty eight lakhs sixty five thousand eight hundred three only) had been spent leaving a balance of Rs. 52,26,994/- (Rupees Fifty two lakhs twenty six thousand nine hundred ninety four only) under **GIA Salary** & out of ₹ 2,00,000/- an amount of Rs. NIL had been spent leaving a balance of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two lakhs only) under **GIA General (Swachh Bharat Abhiyan)** at the end of the year 2017-18. The Unspent of Rs. NIL under GIA General, Rs. 52,26,994/- under GIA Salary & Rs. 2,00,000/- under GIA General (Swachh Bharat Abhiyan) will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the year 2018-19.



Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth for the year ended 31 March 2018.

We have audited the attached Balance Sheet of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (Vidyapeeth) as at 31 March 2018, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2020-21. These financial statements are the responsibility of the Vidyapeeth's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;



- ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Government of India, Ministry of Finance.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Vidyapeeth in so far as it appears from our examination of such books.
- iv. We further report that:

A Balance Sheet

A.1 Liabilities – Rs. 1.52 crore

A.1.1 Understatement of liabilities

As per Receipt & Payment Account of the Vidyapeeth, the Establishment Expenses was shown as Rs. 7,86,30,278/- and as per Income & Expenditure Account, the Establishment Expenses was shown as Rs. 7,95,55,090/- which includes Rs. 9,24,812/- under the head 'Employees Retirement and Terminal Benefits'. However, the provision of employees benefits should be booked under 'Current Liabilities and Provisions' in Schedule 7 of the Balance Sheet. This resulted in understatement of liability by Rs. 9.24 lakh.

B. General

B.1 No provision had been made by the Vidyapeeth for pension, gratuity, leave encashment and other retirement benefits on actuarial basis as required under Accounting Standard - 15 of ICAI.

B.2 As per instructions issued by Ministry of Finance vide notification No.F-5(53)/2002-ECB & PB dated 14.08.2008, investment of Provident Fund should be made in various Govt. securities (upto 55%), debt securities (upto 40%), money market instruments (upto 5%) and share of companies (15%). However, the Vidyapeeth had invested of Rs. 76.76 lakh in term deposits in Nationalized Banks which was not in accordance with pattern prescribed by the Ministry of Finance.

**C. Grants-in-aid**

The Vidyapeeth received Grants-in-aid of Rs. 860.00 lakh (General: Rs. 798.00 lakh and General (Swachh Bharat Abhiyan): Rs. 2.00 lakh, Salary: Rs. 60.00 lakh) from Ministry of AYUSH during the year 2017-18. Besides, there was an unspent grant of Rs. 115.64 lakh (Plan: Rs. 66.90 lakh, Non Plan General: Rs. 7.81 lakh and Non Plan Salaries: Rs. 40.93 lakh) for the year 2016-17. It had its own receipts under General Rs. 5.26 lakh during the year. The Vidyapeeth utilized Rs. 926.63 lakh (General: Plan: Rs. 877.97 lakh and Rs. 48.66 lakh) leaving an unutilized grant of Rs. 54.27 lakh (General: Nil, Salary: Rs. 52.27 lakh and General (Swachh Bharat Abhiyan): Rs. 2.00 lakh) as on 31 March 2018.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Vidyapeeth as at 31 March 2018; and
- b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of C&AG of India
Additional Deputy Comptroller &
Auditor General
(Central Expenditure)**

Place: New Delhi
Date: 26.12.2018

**Annexure****1. Adequacy of internal audit system:**

The internal audit of the Vidyapeeth was conducted by the Ministry up to 2015-16.

2. Adequacy of internal control system:

- i) The management's response to internal and external audit objections was not effective as 15 paras of internal audit up to 2016 were outstanding as on 31 March 2018.
- ii) No investment committee was formed in the Vidyapeeth.
- iii) Register of contracts is not being maintained by Vidyapeeth.

3. System of physical verification of fixed assets:

The physical verification of the fixed assets for the period 2017-18 was conducted.

4. System of physical verification of inventory:

The physical verification of book and publication, stationery and consumable items was conducted up to 2017-18.

5. Regularity in payment of statutory dues:

No statutory dues were outstanding for more than six month as on 31.03.2018.



Annual Report 2017-18

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2018

AMOUNT (Rs.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	44,13,962.00	43,21,412.00
Reserves And Surplus	2	13,89,669.00	9,96,767.00
Earmarked/Endowment Fund	3	-	-
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	1,52,09,549.00	1,85,38,942.00
TOTAL		2,10,13,180.00	2,38,57,121.00
ASSETS			
Fixed Assets	8	9,66,545.00	10,85,569.00
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments- Others	10	76,76,049.00	66,06,279.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,23,70,586.00	1,61,65,273.00
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		2,10,13,180.00	2,38,57,121.00

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 24

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS 25

For Rashtriya Ayurveda
Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Manoj Nesari
DIRECTOR

Place: New Delhi
Date: 31.05.2018



Annual Report 2017-18

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

AMOUNT (RS.)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income From Sales/Services	12	-	-
Grants/Subsidies	13	9,25,70,741.00	8,61,06,035.00
Fees/Subscription	14	37,191.00	-
Income From Investments (Income on Invest. from Earmarked/Endow. Funds Transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	7,66,745.00	3,68,229.00
Interest Earned	17	40,732.00	15,39,718.00
Other Income	18	4,65,410.00	23,300.00
Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods and Work-In-Progress	19	-3,90,529.00	-3,68,229.00
TOTAL (A)		9,34,90,290.00	8,76,69,053.00
Less : Internal Generation Transferred to GIA General		5,26,647.00	-
TOTAL (A) after transfer of Interest Income		9,29,63,643.00	8,76,69,053.00
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	7,95,55,090.00	7,71,53,421.00
Other Administrative Expenses	21	1,28,04,077.00	87,85,793.00
Expenditure on Grants, Subsidies	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation (Net Total at the year-end -Corresponding to Schedule 8)		2,11,574.00	1,66,821.00
TOTAL (B)		9,25,70,741.00	8,61,06,035.00
Balance Being Excess of Income over Expenditure (A-B)		3,92,902.00	15,63,018.00
Transfer to Special Reserve (Specify Each)		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		3,92,902.00	15,63,018.00

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 24

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS 25

For Rashtriya Ayurveda
Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Manoj Nesari
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 31.05.2018

**Schedules To The Balance Sheet**

AMOUNT (RS.)

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year		Previous Year	
	Balance as at the Beginning of the Year	43,21,412.00		41,08,451.00
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	92,550.00	44,13,962.00	2,12,961.00	43,21,412.00
Income and Expenditure Account				
Balance at the end of the year		44,13,962.00		43,21,412.00

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:	Current Year		Previous Year	
	General Reserves (Excess of Income over expenditure)			
As per Last Account	9,96,767.00		13,64,996.00	
Add : Addition during the year	3,92,902.00		15,63,018.00	
Less : Deductions (current year Internal Generation)	-	13,89,669.00	19,31,247.00	9,96,767.00
TOTAL		13,89,669.00		9,96,767.00

	FUND-WISE BREAK UP		TOTALS	
			Current Year	Previous Year
SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS				
a) Opening Balance of the Funds	-	-	-	-
b) Additions to the funds:	-	-	-	-
i) Donations/Grants				
ii) Income from Investments made on account of funds				
iii) Other Additions				
TOTAL (a+b)		-		-
i) Capital Expenditure	-	-	-	-
- Fixed Assets				
- Others				
Total				
ii) Revenue Expenditure	-	-	-	-
- Salaries, Wages and Allowances etc.				
- Rent				
- Other Administrative Expenses				
Total				
TOTAL (c)		-		-
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)				

**Notes**

- 1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
- 2) Plan Funds received from the Central/State governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-		-	
2. State Government (Specify)	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
a) Term Loans				
b) Interest Accrued and Due				
4. Banks:	-		-	
a) Term Loans				
- Interest Accrued and Due				
b) Other Loans (Specify)				
- Interest Accrued and Due				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year		Previous Year	
1. Central Government	-		-	
2. State Government (Specify)	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
4. Banks:	-		-	
a) Term Loans				
b) Other Loans (Specify)				
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7. Fixed Deposits	-		-	
8. Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-



SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year		Previous Year	
a) Acceptances Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-		-	
b) Others	-		-	
TOTAL		-		-

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Statutory Liabilities				
a) Contribution to Provident Fund				
As per last year Balance Sheet	36,19,738.00		46,03,223.00	
Addition during the year	12,04,043.00		7,25,441.00	
Less : Withdrawal during the year	-	48,23,781.00	17,08,926.00	36,19,738.00
2. Other Current Liabilities				
- Unutilized Grant (GIA General)	0.00		66,90,343.80	
- Unutilized Grant (Non Plan - General)	-		7,80,498.00	
- Unutilized Grant (GIA- Salary)	52,26,994.70		40,92,797.70	
- Unutilized Grant (GIA Swachh Bharat Abhiyan)	2,00,000.00		-	
- Corpus Funds (Retirement)	38,96,036.00		31,29,176.00	
- Earnest Money	35,185.00		8,000.00	
- Other Charges Head	2,46,645.30		2,18,389.00	
- Interest earned on GIA to be refunded to Ministry of AYUSH	7,80,907.00	1,03,85,768.00	-	1,49,19,204.00
TOTAL (A)		1,52,09,549.00		1,85,38,942.00



B. PROVISIONS	Current Year		Previous Year	
1. For Taxation	-		-	
2. Gratuity	-		-	
3. Superannuation/Pension	-		-	
4. Accumulated Leave Encashment	-		-	
5. Trade Warranties/Claims	-		-	
6. Others (Specify)	-		-	
TOTAL (B)		-		-
TOTAL (A+B)		1,52,09,549.00		1,85,38,942.00



SCHEDULE 8 - Fixed ASSETS F.Y. - 2017-18

DESCRIPTION	RATE OF DEPRECIATION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK		
		Cost/Valuation As At Beginning Of The Year	Addition (upto 30.09.2017)	Addition (after 30.09.2017)	Deductions During The Year	Cost/Valuation At The Year-End	As At The Beginning Of The Year	DEP. During The Year	Deductions During The year	Total Up To The Year-End	As At The Current Year-End	As At The Previous Year-End
A. FIXED ASSETS :												
1. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	15%	1,02,103.08	-	-	-	1,02,103.08	47,294.67	9,221.28	-	55,515.93	46,587.16	54,808.42
2. FURNITURES, FIXTURES	10%	8,71,385.25	-	-	-	8,71,385.25	3,00,231.48	49,115.38	-	4,29,346.94	4,42,038.41	4,91,153.79
3. OFFICE EQUIPMENT	15%	9,08,104.45	-	-	-	9,08,104.45	6,07,200.88	45,135.27	-	6,52,337.95	2,55,705.51	3,00,091.78
4. COMPUTER/ PERIPHERALS	40%	3,53,788.00	-	-	-	3,53,788.00	3,43,849.13	3,088.37	-	3,47,817.50	5,952.85	9,920.92
5. LIBRARY BOOKS	40%	3,95,605.00	-	-	-	3,95,605.00	2,95,312.73	71,577.54	-	3,07,290.67	28,318.42	1,00,296.35
6. AIR COOLING APPLIANCES	15%	2,36,841.58	92,550.00	-	-	2,36,841.58	1,21,305.90	31,209.85	-	1,52,535.75	1,78,855.81	1,15,515.66
7. ELECTRONIC EQUIPMENT	15%	16,499.00	-	-	-	16,499.00	3,528.67	1,945.85	-	5,472.52	11,025.45	12,972.33
TOTAL OF CURRENT YEAR		28,84,311.44	92,550.00	0.00	0.00	28,84,311.44	17,96,743.22	2,11,574.00	-	20,10,317.16	9,96,545.00	10,85,969.00
PREVIOUS YEAR		26,71,351.32	1,47,451.00	65,500.00	0.00	28,84,311.44	18,31,932.52	1,69,821.00	-	17,90,743.52	10,85,969.00	10,39,429.00
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS												
TOTAL		28,84,311.44	92,550.00	-	-	28,84,311.44	17,96,743.22	2,11,574.00	-	20,10,317.16	9,96,545.00	10,85,969.00

Detail of Addition of Fixed asset

Date	Amount (Rs.)
19.08.2017	10050.00
19.09.2017	82500.00



SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Current Year		Previous Year	
1. In Government Securities	-	-	-	-
2. Other Approved Securities	-	-	-	-
3. Shares	-	-	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-	-	-
6. Others (To be specified)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHERS	Current Year		Previous Year	
1. Fixed Deposit				
- Contributory Provident Fund	44,23,049.00		33,53,279.00	
- Corpus Fund (Retirement)	32,53,000.00	76,76,049.00	32,53,000.00	66,06,279.00
TOTAL		76,76,049.00		66,06,279.00

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT ASSETS:				
1. Inventories:				
- Ayurvedic Books Published	3,17,509.00	3,17,509.00	7,08,038.00	7,08,038.00
2. Cash Balances in Hand (Including Cheques/Drafts and Imprest)	-	-	-	-
3. Bank Balances:				
-GIA General	44,97,228.34		93,58,311.73	
- GIA Salary	48,16,433.70		40,53,713.00	
- Contributory Provident Fund	4,00,732.00		2,66,459.00	
- Corpus Fund	6,43,036.00		264.70	
- GIA General (Swachh Bharat Abhiyan)	2,00,000.00		-	
- Other Charges - ROTP	2,46,645.30	1,08,04,075.00	-	-
TOTAL (A)		1,11,21,584.00		1,43,86,786.00



B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Advances & other amounts recoverable in Cash/Kind				
- Amt. recoverable from Sh. M. R. Giri	44,390.00		44,390.00	
- Motorcycle Advance	49,945.00		47,388.00	
- Convocation Advance	-		1,77,400.00	
- Stipend Recoverable	-		-	
- Advance to NICSI	10,21,217.00		10,21,217.00	
- Contingent Advance	1,33,000.00	12,48,552.00	4,87,642.00	17,78,037.00
- Festival Advance				
- As per last year Balance Sheet	450.00		2,325.00	
- Less : Recovered during the year	-		1,875.00	
		450.00		450.00
TOTAL (B)		12,49,002.00		17,78,487.00
TOTAL (A+B)		1,23,70,586.00		1,61,65,273.00

For Rashtriya Ayurveda
Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Manoj Nesari
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 31.05.2018

**Schedules To Profit & Loss Account**

AMOUNT (RS.)

SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES	Current Year		Previous Year	
Sales	-	-	-	-
TOTAL		-		-

SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES	Current Year		Previous Year	
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)				
1. Central Government-				
GIA GENERAL				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	66,90,343.80		3,09,02,262.50	
Add : Previous year Unutilised Grant	7,80,498.00		-	
Transfer of Non Plan General				
Add : Current year Internal Generations	5,26,647.00		18,24,158.30	
Add : Grant-In-Aid Received from Govt.	7,98,00,000.00		5,50,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	8,77,97,488.80		8,77,26,420.80	
Less: Grant Capitalised	92,550.00		2,12,961.00	
	8,77,04,938.80		8,75,13,459.80	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	0.00		66,90,343.80	8,08,23,116.00
GIA SALARY				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	40,92,797.70		33,123.00	
Add : Current year Internal Generation	-		1,07,088.70	
Grant-In-Aid Received from Govt.	60,00,000.00		80,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	1,00,92,797.70		81,40,211.70	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	52,26,994.70	48,65,803.00	40,92,797.70	40,47,414.00
NON PLAN - GENERAL				
Amt. Brought Forward Unutilised Grant	7,80,498.00		16,003.00	
Grant-In-Aid Received from Govt.	-		20,00,000.00	
Total Grant-In-Aid	7,80,498.00		20,16,003.00	
Less: Transfer to GIA General	7,80,498.00	-	7,80,498.00	12,35,505.00



GIA GENERAL – SWACHH BHARAT ABHIYAN				
Grant-In-Aid Received from Govt.	2,00,000.00		-	
Total Grant-In-Aid	2,00,000.00		-	
Less: Unutilised Grant Carried to the Balance Sheet	2,00,000.00		-	
TOTAL		9,25,70,741.00		8,81,06,035.00

SCHEDULE 14- FEES/SUBSCRIPTION	Current Year		Previous Year	
I. Application Fees*				
(Received from candidates applied for courses)	37,191.00	37,191.00	-	-
TOTAL		37,191.00		-

*Out of total income of application fees of Rs. 533500, 50% i.e. Rs. 496309/- has been transferred to salary head towards impact of 7th CPC arrears.

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS	Current Year		Previous Year	
(Income on Invest. from F earmarked/Endowment Funds Transferred to Funds)				
1. Interest	-	-	-	-
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
2. Dividends:	-	-	-	-
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL		-		-



SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION	Current Year		Previous Year	
1. Income from Royalty	-	-	-	-
2. Income from Publications	7,66,745.00		3,68,229.00	
3. Others (Specify)	-	7,66,745.00	-	3,68,229.00
TOTAL		7,66,745.00		3,68,229.00

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED	Current Year		Previous Year	
1. On Savings Accounts and Fixed Deposits :				
a) With Scheduled Banks-State Bank of India**	-	-	14,16,475.00	
b) Interest on Corpus Fixed Deposit	-	-	1,07,088.70	15,23,564.00
2. On Other Receivables:				
a) Stipend	38,175.00		12,767.00	
b) Motor Cycle Advance	2,557.00	40,732.00	3,387.00	16,154.00
TOTAL		40,732.00		15,39,718.00

**Interest earned on GIA General of Rs. 780907/- considered as liability towards Ministry of AYUSH under Schedule 7, Current liabilities.

SCHEDULE 18- OTHER INCOME	Current Year		Previous Year	
a) Registration Fee	2,10,000.00		-	
b) Recovery of Salary/Stipend	2,53,528.00		8,091.00	
c) Miscellaneous Income	1,882.00	4,65,410.00	15,209.00	23,300.00
TOTAL		4,65,410.00		23,300.00

SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS	Current Year		Previous Year	
a) Closing Stock of Ayurvedic Books published	3,17,509.00		7,08,038.00	
b) Less: Opening Stock of Ayurvedic Books Published	7,08,038.00	-3,90,529.00	10,76,267.00	3,68,229.00
NET INCREASE/(DECREASE) [a-b]		-3,90,529.00		3,68,229.00



SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year		Previous Year	
GIA General				
a) Wages	23,41,552.00		22,01,835.00	
b) Scholarship/Stipend				
- Stipend to Shishyas	5,73,56,007.00		4,96,68,971.00	
c) Professional Services				
- Honorarium to Gurus	1,46,94,751.00		2,09,99,273.00	
- Auditors Remuneration/Professional Fees	2,96,977.00	7,46,89,287.00	2,35,928.00	7,31,06,007.00
GIA Salary				
a) Salary				
- Salary Expenses	39,40,991.00		40,47,414.00	
- Employees' Retirement and Terminal Benefits*	9,24,812.00	48,65,803.00	-	40,47,414.00
TOTAL		7,95,55,090.00		7,71,53,421.00

SCHEDULE 21 :OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year		Previous Year	
GIA General				
a) Office Expenses				
- Bank Charges	2,850.39		2,404.52	
- Misc. Expenses	1,34,580.00		1,93,676.00	
- Repairs and Maintenance	75,233.00		87,135.00	
- Newspaper & Periodicals	9,128.00		8,890.00	
-Electricity and Power	2,04,770.00		1,95,310.00	
- Water Charges	59,616.00		26,183.00	
- Postage charges.	8,836.00		19,250.00	
-Telephone and Communication charges	46,429.00		78,502.00	
- Rent, Rates and Taxes	10,47,650.00		9,07,365.00	
- Medical Treatment	-		8,895.00	
- Contingency to Gurus	-		1,87,221.00	
b) Publications				
- Discount Allowed	2,46,338.00		95,029.00	
- Printing & Stationery	4,28,799.00		5,00,169.00	
c) Domestic Travelling				
- Travelling and Conveyance Expenses	8,75,243.00		15,24,443.00	



d) Other Administration Expenses				
- Thesis & Exam.				
Remun./S.C./Honorarium/ Sitting Fees	66,500.00		1,24,125.00	
- National Ayurveda Day	11,68,968.00		16,02,656.00	
-Accreditation	5,59,013.00		3,49,841.00	
- Bi- Annual Journal	5,49,516.00		3,66,886.00	
- E- Course	-		1,89,759.00	
- Symposium Programme - Delhi	-		1,85,501.00	
- Training Programme - Indore	-		4,09,473.00	
- Training Programme - Nadiad			1,99,595.00	
- Training Programme - Udupi			3,89,426.00	
- Training Programme - Hyderabad			4,72,057.00	
- Training Programme - Raipur			4,96,643.00	
- Training Programme - Chitrakoot	5,72,547.00		-	
- Training Programme - Charak Samhita	3,00,040.00		-	
- Training Programme - Haridwar	1,66,690.00		-	
- Training Programme - New Delhi	1,24,840.00		-	
- Information Technology	2,37,388.00		-	
- Convocation Exp./Conference Exp.	32,50,280.00		-	
c) Advertisement & Publicity				
- Advertisement Exp.	26,68,793.00	1,28,04,077.00	1,65,358.00	87,85,793.00
TOTAL		1,28,04,077.00		87,85,793.00

SCHEDULE 22 :EXPENDITURE ON GRANTS,SUBSIDIES ETC.	Current Year		Previous Year	
a) Grants Given to Institutions/Organisations	-		-	
b) Subsidies Given to Institutions/Organisations	-		-	
TOTAL		-		-



SCHEDULE 23 : INTEREST	Current Year		Previous Year	
a) On Fixed Loans	-		-	
b) On other Loans (including Bank Charges)	-		-	
TOTAL		-		-

For Rashtriya Ayurveda
Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Manoj Nesari
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 31.05.2018



**RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR
ENDED 31st MARCH, 2018**

RECEIPTS	AMOUNT (RS.)		PAYMENTS	AMOUNT (RS.)	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
Opening Balance			I. Expenses		
SBI General	85,82,392.73	3,29,75,181.25	a) Establishment Expenses (Schedule 20)	7,86,30,278.00	7,71,53,421.00
SBI Salary	40,53,713.00	84,787.00	b) Administrative Expenses (Schedule 21)	1,28,04,077.39	87,85,792.52
SBI Non Plan - General	7,75,919.00	15,039.000	II. Payments Made Against Funds For Various Projects	-	-
SBI Corpus	264.70	8,80,734.00	III. Investments & Deposits Made		
Cash in hand Plan	-	7,099.00	a) Out of Earmarked/ Endowment funds	-	32,53,000.00
II. Grants Received - From Min. of Health & Family Welfare			IV. Expenditure on Fixed Assets/Capital WIP		
a) General	7,98,00,000.00	5,50,00,000.00	a) Purchase of Fixed Assets	92,550.00	2,12,961.00
b) Salary	60,00,000.00	80,00,000.00	b) Expenditure on Capital WIP	-	-
c) Non Plan General	-	20,00,000.00	V. Refund of Surplus Money/Loans	-	-
d) Swachh Bharat Abhiyan	2,00,000.00	-	VI. Finance Charges (Interest)	-	-
III. Income on Investments from			VII. Other Payments		
a) Earmarked/ Endowment Funds	-	27,55,000.00	a) Contingent & Other Advances	9,82,315.00	3,94,349.00
IV. Interest Received			b) Convocation Advances	8,97,476.00	1,77,400.00
a) Interest on Saving Bank A/c	7,80,907.00	14,16,475.00	c) Other Charges head-CME	17,53,354.70	16,50,049.00
b) Interest on Stipend recovered	38,175.00	12,767.00	d) Earnest Money	5,000.00	6,000.00
c) Interest on FD Corpus A/c	-	5,36,760.70	e) Gratuity & leave encashment	-	9,44,389.00
V. Other Income			f) Stipend TDS Paid	-	1,24,688.00
a) Recovery of Salary/Stipend	2,53,528.00	8,091.00			



Annual Report 2017-18

b) Miscellaneous Income	1,882.00	15,209.00	f) Corpus Fund (Retirement)	1,93,600.00	-
			g) Other Charges head	2,18,389.00	-
			h) Transfer to CPF A/c	27,440.00	-
c) Application Fees	37,191.00	-	Closing Balances		
d) Sale of Books	7,66,745.00	3,68,229.00	SBI General	44,97,228.34	85,82,392.73
e) Registration Fee	2,10,000.00	-	SBI Corpus	6,43,036.00	264.70
VI. Amount Borrowed			SBI - Salary	48,16,433.70	40,53,713.00
a) Earnest Money	32,185.00	6,000.00	SBI Non Plan - General	-	7,75,919.00
b) Contingent & Other Advances	13,36,958.00	1,39,707.00	SBI General Swachh Bharat Abhiyan	2,00,000.00	-
c) Convocation Advances	10,74,876.00	-	SBI - Other Charges	2,46,645.30	-
d) Festival Advance	-	1,875.00			
e) Corpus Fund (Retirement)	35,648.00	8,159.00			
f) Other Charges head- CME	20,00,000.00	17,35,164.00			
g) Stipend Recovered	-	1,24,688.00			
h) CPF Contribution received from AICTE	27,440.00	23,374.00			
TOTAL	10,60,07,824.43	10,61,14,338.95	TOTAL	10,60,07,824.43	10,61,14,338.95

For Rashtriya Ayurveda
Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Manoj Nesari
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 31.05.2018



Annual Report 2017-18

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2018

Liabilities	AMOUNT (RS.)			
	Amount	Assets	Amount	Amount
CPF Subscription (Employees)		Balance with Bank		
As per last year	20,75,847.00	In Fixed Deposit		44,23,049.00
Add: During the year	4,37,674.00	In Savings Account		4,00,732.00
Less: Withdrawal	-			
Add: Interest on Employees Subs.	1,79,981.00			
CPF Contribution (Employers)				
As per last year	15,43,891.00			
Add: During the year	4,57,356.00			
Less: Withdrawal	-			
Add: Interest on Employers Contribution	1,29,032.00			
Total	48,23,781.00	Total		48,23,781.00

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

Expenditure	Amount	Income	Amount
Interest on Employees Subscription	1,79,981.00	Interest from Bank	26,605.00
Interest on Employers Contribution	1,29,032.00	Interest from FD	4,72,732.00
Employers Contribution	4,57,356.00	Recovery from AICTE	27,440.00
		Contributed by RAV	2,39,592.00
Total	7,66,369.00	Total	7,66,369.00



**RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR
ENDED 31st MARCH, 2018**

Receipts		Amount	Payments		Amount
Opening Balances					
CPF Subscription	20,75,847.00		Subscription paid by employees	-	-
CPF Contribution	15,43,891.00	36,19,738.00	Contribution paid to employees	-	-
Employees Subscription/ Refund	4,37,674.00		Closing Balance		
Employer Contribution	4,57,356.00	8,95,030.00	CPF Subscription	26,93,502.00	
Interest on Employees Subscription	1,79,981.00		CPF Contribution	21,30,279.00	48,23,781.00
Interest on Employer Contribution	1,29,032.00	3,09,013.00			
Total		48,23,781.00	Total		48,23,781.00

For Rashtriya Ayurveda
Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Manoj Nesari
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 31.05.2018



**SCHEDULE-24 : SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

- 1. Accounting Convention**
The financial statement have been prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.
- 2. Inventory Valuation**
Inventories of Books are valued at cost.
- 3. Fixed Assets**
 - i) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of taxes, freight incidental and direct expenses related to acquisition.
 - ii) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalised at value stated by corresponding credit to General Fund.
- 4. Government Grants**
Government Grant in respect of purchase of fixed assets are treated as Grant Capitalized.
- 5. Revenue Recognition**
 - i) Sale of books includes trade discount and rebate.
 - ii) Interest accrued on FDR has not been account for in books of accounts as the same is considered on maturity.
- 6. Depreciation**
Depreciation on fixed assets is calculated as per rates prescribed by Income Tax Act.

For Rashtriya Ayurveda
Vidyapeeth
Sd/-
Dr. Manoj Nesari
DIRECTOR

Place : New Delhi
Date : 31.05.2018



SCHEDULE-25 : CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. Current Liabilities

Unutilised Grants for Plan & Non Plan Expenditures has been shown under Current Liabilities.

2. Current Assets, Loans and Advances

The current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business equal at least to aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/re-arranged, wherever necessary.
4. Current Year Figures have been rounded off nearest to the rupees and Previous Year Figures have been taken as on 31.03.2018 so as to meet consistency.
5. Schedules 1 to 25 have been annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2018 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.
6. Recognition of fixed assets method has been changed from WDV method to Gross Block since Financial year 2011-12.
7. Simple interest @ 10% is charged on motor cycle advance since 2007-08. Advance consists of principal amount of Rs. 25,292/- plus accrued interest of Rs. 24653/- there on.
8. Loans & advances under the head current assets of Rs. 12,49,002/- is still recoverable.
9. The depreciation adjustment on library books as per CAG objection has been duly complied With.
10. Out of total internal generations of Rs. 1310078/-, an amount of Rs. 526647/- has been transferred to GIA General on account of excess expenditure incurred.

For Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Sd/-

Dr. Manoj Nesari
DIRECTOR

Place : New Delhi

Date : 31.05.2018





Gathering at the Silver Jubilee Function of Vidyapeeth